



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

25/3/86

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 491]
No. 491]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 1985/कार्तिक 23, 1907
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 1985/KARTIKA 23, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विस्तृत संश्लेषण

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1985

प्रधिसूचना

स्वायत्त औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985

मा का नि 837(ख) केन्द्रीय सरकार, स्वायत्त औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 81) की धारा 76 के माध्यम से पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाने के अर्थ में :-

संख्या 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वायत्त औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा प्रयोजित न हो, —

- (क) "अधिनियम" से स्वायत्त औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 81) अभिप्रेत है ;
- (ख) "अपील प्राधिकरण" से कोई ऐसा प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसको इन नियमों के किसी उपबंध के अर्थात् कोई अपील की जाणी;
- (ग) "स्नायन परीक्षक" से स्नायन परीक्षक, सरकारी अफीम और ऐन्केलाइड संकर्म, नीमच या गाजीपुर अभिप्रेत है ;
- (घ) "मुख्य कारखाना नियंत्रक" से सरकारी अफीम और ऐन्केलाइड कारखानों का मुख्य नियंत्रक अभिप्रेत है ;
- (ङ) "फसल वर्ष" से किसी वर्ष की 1 अक्टूबर से ही प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष 30 अक्टूबर तक की अवधि अभिप्रेत है ;
- (च) "महाप्रबंधक" से महाप्रबंधक, सरकारी अफीम और ऐन्केलाइड संकर्म, नीमच या गाजीपुर अभिप्रेत है ;

- (क) "जारी करने वाला प्राधिकारी" से स्वापक आयुक्त या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त इन नियमों के अध्याय 5 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए या आयात प्रमाण पत्र या स्वापक औषधि या मत-प्रभावी पदार्थ की बाबत इन नियमों के अध्याय 6 के अधीन निर्धारित प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जाए ;
- (ख) "अनुज्ञप्ति" से इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;
- (ग) इन नियमों के अधीन किए जाने वाले किसी कृत्य के संबंध में "समुचित अधिकारी" से स्वापक विभाग का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे स्वापक आयुक्त द्वारा वे कृत्य सौंपे जाते हैं ;
- (घ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ङ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ हैं जो अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

अधिकारियों की शक्तियाँ

3. शक्तियों का प्रत्यायोजन.— अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया स्वापक आयुक्त अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसे विवेकों के अधीन रखे हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाएं इन नियमों के अधीन अपनी सभी शक्तियों या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।
4. स्वापक आयुक्त और अन्य अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को शक्तियों का प्रयोग करना.— स्वापक आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारी जो अधिनियम के धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएं इन नियमों के अधीन उनके अधीनस्थ अधिकारियों को समनुदेशित सभी या किसी भी कृत्य का निर्वहन या किन्हीं की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं ।

अध्याय 3

अफ़म पोस्ट खेत और अफ़म और पोस्ट तृण का उत्पादन

5. अफ़म पोस्ट खेती और अफ़म या पोस्ट तृण का उत्पादन.— अफ़म या पोस्ट तृण के उत्पादन के लिए अफ़म पोस्ट का खेत; केन्द्रीय सरकार के आदेशों और उसके द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मूसागों में और नियम 8 के अधीन जिला अफ़म अधिकारों द्वारा जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार हल की जाएगी—अन्यथा नहीं ।
6. अनुज्ञप्ति मंगूर करने के लिए फीस.— अफ़म पोस्ट की खेती करने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी जिला अफ़म अधिकारी की पांच रुपये की फीस का संशय करने पर की जा सकती है ।
7. अफ़म पोस्ट का खेती के लिए अनुज्ञप्ति का प्रारूप.— अफ़म या पोस्ट तृण के उत्पादन के लिए अफ़म पोस्ट की खेती के लिए अनुज्ञप्ति इन नियमों से संगत प्रारूप सं. 1 में जारी की जाएगी ।
8. अनुज्ञप्ति जारी करना.— अनुज्ञप्तियों की मंजूरी के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित माधुर्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जिला अफ़म अधिकारी किसी भी व्यक्ति को अफ़म या पोस्ट तृण के उत्पादन के लिए अफ़म पोस्ट की खेती के लिए किसी फसल वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति इन नियमों से संगत प्रारूप सं. 2 में जारी की जा सकती है ।

9. अनुज्ञप्ति में क्षेत्र आदि का विनिर्देश किया जाना.— नियम 8 के अधीन अफ़म पोस्ट की खेती के लिए जारी की गई अनुज्ञप्ति में वह क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा और वे मू खंड बनाए जाएंगे जहाँ अफ़म पोस्ट खेती की जाएगी ।

10. लम्बरदारों को पदाभिहित करना.— ऐसे प्रत्येक ग्राम में जहाँ अफ़म पोस्ट की खेती करने की अनुज्ञप्ति अफ़म पोस्ट खेतिहरों में से एक व्यक्ति को जिला अफ़म अधिकारी लम्बरदार के रूप में पदाभिहित कर सकेगा जो ऐसे कृत्यों का और ऐसे निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा जो स्वापक आयुक्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

11. अनुज्ञप्ति को रोकना या रद्द करना.— (1) जिला अफ़म अधिकारी से उच्चतर पंक्ति का कोई अधिकारी, पर्याप्त कारणों से जो शेषवद्ध किए जाएंगे पहले से जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति को रोक या रद्द कर सकता है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक खेतिहर को उचित आदेश के विरुद्ध कारण बताने का या पर्याप्त भवसर नहीं दिया जाता यदि वह चोखा करता है कि उसे स्वयं सुना जाएगा तब तक उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं सुना जाता ।

(3) जहाँ अफ़म पोस्ट की खेती किसी ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन की गई है जिसे तदनन्तर रोक या रद्द कर दिया जाता है तो खेती फसलें यदि कोई हैं तो उन्हें स्वापक आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में किसी समुचित अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन नष्ट किया जाएगा ।

12. अफ़म पोस्ट की खेती की जाने वाली भूमि के माप का बाबत प्रक्रिया.— (1) ऐसे सभी भूखंडों का जिनमें इन नियमों के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार खेती की जानी है, माप, ग्राम के लम्बरदार और संबंधित खेत हर के समक्ष समुचित अधिकारों द्वारा म.टरों में किया जाएगा और ग्राम का संबंधित खेतिहर और लम्बरदार इन निमित्त स्थापक आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में लम्बरदार द्वारा रखे गए अभिलेख में की गई प्रविष्टियों की, माप की शुद्धता की बाबत अपने समाधान के परिणाम-स्वरूप तारीख के साथ अपने हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान से अनुप्रमाणित करेंगे ।

(2) समुचित अधिकारी द्वारा माप का ऐसे अधिकारियों द्वारा अपने जांच पड़ताल की जा सकेगी जिन्हें स्वापक आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ।

13. प्रारम्भिक तौल की बाबत प्रक्रिया.— (1) फसल की कटाई के दौरान खेतिहर प्रत्येक दिन लम्बरदार के समक्ष, अपनी फसल से प्रत्येक दिन इकट्ठी की गई अफ़म की तौल के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(2) लम्बरदार ऐसी अफ़म के तौलने की व्यवस्था करेगा और उनका द्वारा रखे गए ऐसे अभिलेखों में जो स्वापक आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगा ।

(3) खेतिहर और लम्बरदार ऐसे अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों, किसी विशिष्ट दिन तौल, गई अफ़म का मात्रा को उपदर्शित करते हुए अपने हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान तारीख के साथ, अनुप्रमाणित करेंगे ।

(4) समुचित अधिकारी लम्बरदार के अभिलेख में की गई प्रविष्टियों के प्रतिनिर्देश से खेतिहर द्वारा इकट्ठी की गई अफ़म की तौल की जांच पड़ताल करेगा और उस पर अपने निष्कर्ष उपदर्शित करेगा और अपने और लम्बरदार के तारीख के साथ हस्ताक्षर द्वारा अनुप्रमाणित करेगा ।

(5) लम्बरदार के अभिलेख में उपदर्शित, खेतिहर द्वारा उत्पादित, अफ़म की मात्रा और जांच पड़ताल के दौरान समुचित अधिकारियों को प्राप्त मात्रा के बीच यदि कोई अन्तर है तो उनकी जांच अधिनियम की धारा 19 के अधीन दण्ड के लिए खेतिहर का दायित्व यदि विशिष्ट करने के लिए समुचित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

14. उत्पादित अफ़म का परिधान.— सारी अफ़म, पोस्ट की खेती की गई भूमि के सभी उत्पाद खेतिहर द्वारा जिला अफ़म अधिकारी या स्वापक आयुक्त द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान पर परिदत्त किए जाएंगे ।

15. अफीम की तोल परीक्षण और वर्गीकरण.— खेतिहरों द्वारा जिला अफीम अधिकारियों को या उपरोक्त के अनुसार प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारियों को परिवर्तन का गई सारी अफीम को संबंधित खेतिहर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति और ग्राम के लम्बरदार की उपस्थिति में, तोला जाएगा, परीक्षण किया जाएगा और इसका क्वालिटी और गाढ़ापन के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा और जिला अफीम अधिकारियों द्वारा, स्वापक आयुक्त द्वारा या विनिश्चित रीति में सरकारी अफीम कारखाने को भेजा जाएगा।

16. अफीम के वर्गीकरण को बाबत खेतिहर का समाधान न होने की दशा में प्रक्रिया.— कोई खेतिहर जो नियम 15 में विनिश्चित अधिकारियों द्वारा किए गए अफीम के वर्गीकरण से असंतुष्ट है, उसे अपनी उपस्थिति में और संबंधित लम्बरदार की उपस्थिति में, उचित रूप से सोलबन्ध करने के परवाह उस अधिकारी द्वारा उसे भ्रम से सरकारी अफीम कारखाने को प्रेषित कराए जाएगा।

17. ऐसी अफीम को भेजने की प्रक्रिया जिसके अप्रामाणिक होने का संदेह है.— जब किसी खेतिहर द्वारा जिला अफीम अधिकारियों को या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारियों को अफीम परिवर्तन की जाती है और उसमें किसी बाहरी पदार्थ के अप्रामाणिकता का संदेह है तो अलग से खेतिहर और उसे संबंधित लम्बरदार की उपस्थिति में उचित रूप से सोलबन्ध करके सरकारी अफीम कारखाने को भेजा जाएगा।

18. नियम 16 या नियम 17 के अधीन सरकारी अफीम कारखाने को भेजा गई अफीम में ऐसे नमूने लेना.— नियम 16 या नियम 17 के अनुसार भ्रम से प्राप्त की गई सोलबन्ध अफीम को, खेतिहर यदि यह चाँछा करे तो, और उसे पहले ही इस निमित्त एक सूचना भेजकर जिसमें तारीख और समय संसूचित करेगा, उसकी उपस्थिति में खोला जाएगा और उसमें से नमूने लिए जाएंगे।

19. अफीम की कीमत नियत करना.— (1) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर ऐसी रीति में जैसे वह उचित समझे अफीम की वह कीमत नियत करेगा जो खेतिहरों को संदेह की जाएगी।

(2) ऐसी कीमत मानक गाढ़ापन वाला अफीम के प्रति किलोग्राम के लिए नियत की जाएगी।

20. कीमत का अन्तिम संदाय.— (1) जिला अफीम अधिकारियों प्रत्येक खेतिहर द्वारा परिवर्तन अफीम के भार और गाढ़ापन को ध्यान में रखते हुए ऐसी अफीम का भार मानक गाढ़ापन पर निकालेगा और ऐसे खेतिहरों को संदेह कुल कीमत का अन्तिम प्रकाशन करेगा।

(2) उक्त अधिकारियों इस प्रकार प्रकाशित कीमत का नब्बे प्रतिशत खेतिहरों को संदाय करेगा जो इसमें इसके परवाह उपरोक्त के अनुसार प्रकाशित रूपकों को संदेह अन्तिम कीमत भूरे समायोजन के अधीन होगा।

21. सरकारी अफीम कारखाने में अफीम को तोलना और उसकी परीक्षण करना.— जिला अफीम अधिकारियों द्वारा भेजी गई अफीम ऐसी रीति से जो स्वापक आयुक्त द्वारा विहित की जाए सरकारी अफीम कारखाने में महाप्रबंधक के पर्यवेक्षण के अधीन प्राप्त की जाएगी, तोली जाएगी और उसका परीक्षण और वर्गीकरण किया जाएगा।

22. अप्रामाणिक अफीम की अन्ती.— नियम 17 के अधीन पृथक् प्राप्त की गई सभी ऐसी अफीम यदि सरकारी अफीम कारखाने में रसायन परीक्षक द्वारा परीक्षण करने पर अप्रामाणिक पाई जाता है तो वह महाप्रबंधक द्वारा जप्त की जा सकेगा।

23. अप्रामाणिक अफीम की अन्ती का न्याय निर्णय.— महा-प्रबंधक ऐसी अन्ती का तब तक आदेश नहीं करेगा जब तक खेतिहर को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दशित करने के लिए कोई उचित अवसर नहीं दिया जाता है और उससे यदि वह ऐसी वाँछ करे व्यक्तिगत रूप से नहीं सुना जाता।

24. अफीम की अन्तिम कीमत का प्रकाशन.— 4 (1) नियम 21 के अधीन रखते हुए खेतिहरों को संदेह अफीम की अन्तिम कीमत नियम 19 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की गई कीमत को ध्यान में रखते हुए रसायन परीक्षक की या ऐसे अन्य व्यक्तियों की, जो इस निमित्त कारखाना मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, विप्लेन रिपोर्ट के आधार पर महाप्रबंधक द्वारा लब्धधारित की जाएगी और संबंधित जिला अफीम अधिकारियों को संसूचित की जाएगी।

(2) किसी ऐसी अफीम की बाबत संदेह कीमत जो जिला अफीम अधिकारियों या नियम 14 के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारियों को परिवर्तन की जाती है और आरंभ में उसके अप्रामाणिक होने का संदेह नहीं होता है किन्तु सरकारी अफीम कारखाने में परीक्षण करने पर जिसे अप्रामाणिक पाया जाता है, ऐसी दर पर कमी किए जाने का अधीन होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

25. खेतिहर-लेखा का समायोजन और खेतिहरों से शोध्य रकम को वसूला.— परवातवर्ती फल-वर्ष के लिए अनुज्ञापित जारी करते समय, किसी विशिष्ट फसल-वर्ष के लिए खेतिहरों के लेखाओं का जिला अफीम अधिकारियों द्वारा समायोजन किया जाएगा और किसी अतिशेष को, जो खेतिहरों से शोध्य रहता है वसूल किया जाएगा और उनको शोध्य रकम यदि कोई है, उनकी संदेह की जाएगी।

26. बाट और तराजू.— तोलने केन्द्रों और सरकारी अफीम कारखानों में अफीम को तोलने में प्रयोग किए जाने वाले बाटों और तराजूओं का, यथास्थिति उप-स्वापक आयुक्त या महाप्रबंधक द्वारा समुचित समय पर परीक्षण कराया जाएगा।

27. पोस्त तृण के अनन्य उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती.— केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना समीचीन समझती है तो उन भू-भागों में और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए जो उसके द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विहित की जाएं, नियम 8 के अधीन जारी की गई किसी अनुज्ञापित के अनुसरण में पोस्त तृण के अनन्य उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती करने की अनुज्ञा देगी।

परन्तु अफीम के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के परिणाम-स्वरूप खेतिहरों द्वारा उत्पादित पोस्त तृण को, नियम 8 के अधीन जारी की गई किसी विधिमाल्य अनुज्ञापित के अधीन उत्पादित किया गया समझा जाएगा।

28. उप-स्वापक आयुक्त और स्वापक आयुक्त को अपील.— (1) (क) उप-स्वापक आयुक्त से नीचे की श्रेणी के स्वापक विभाग के किसी अधिकारियों द्वारा अफीम पोस्त की खेती करने के लिए किसी अनुज्ञापित के इंकार करने, रोकने या खारिज करने से संबंधित इन नियमों के अधीन किसी विनिश्चय या उसके द्वारा किए या पारित किए गए आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति, उसको ऐसे विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उप-स्वापक आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(ख) खंड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञापित को रोकने या खारिज करने से संबंधित विनिश्चय या आदेश उप-स्वापक आयुक्त द्वारा पारित किया गया है, तो ऐसी अपील स्वापक आयुक्त को की जाएगी।

परन्तु, यथास्थिति, उप-स्वापक आयुक्त या स्वापक आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी अपने निर्वहन से बाहर के कारणों से खंड (क) के विनिश्चित समय सीमा के भीतर अपनी अपील प्रस्तुत करने से निवारित था तो ऐसी अपील से तीस दिन की और अधिक के भीतर प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) इस नियम के अधीन प्रत्येक अपील के साथ उस विनिश्चय या आदेश की एक प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है, लगी होगी और अपील ऐसे रूप में और ऐसी रीति में होगी जो स्वापक आयुक्त इस निमित्त विनिश्चित करे।

29. कारखाना मुख्य नियंत्रक को अपील :—नियम 21 या नियम 23 के अधीन महाप्रबंधक द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय या आदेश को उसको दो गई संसूचना की तारीख से तीन दिन के भीतर कारखाना मुख्य नियंत्रक को अपील कर सकेगा :

परन्तु कारखाना मुख्य नियंत्रक यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों में उक्त समय सीमा के भीतर अपनी अपील प्रस्तुत करने में निवारित या तो तीन दिन की और अवधि के भीतर ऐसी अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) इस नियम के अधीन प्रत्येक अपील के साथ उस विनिश्चय या आदेश की एक प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, लगी होगी और अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में होगी जो स्थापक आयुक्त विनिश्चित करे।

30. अपील की प्रक्रिया :—(1) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को यदि वह ऐसी वांछा करे, सुनवाई का अवसर देगा।

(2) अपील प्राधिकारी, किसी अपील की सुनवाई के समय, अपीलार्थी को अपील के आधारों में विनिश्चित न किए गए अपील के किसी आधार को लेने की अनुज्ञा देगा यदि अपील प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपील के आधारों से उस आधार का सोप, जानबूझकर नहीं किया गया या आयुक्तियुक्त नहीं था ।

(3) अपील प्राधिकारी, ऐसी और जांच जो आवश्यक हो करने के पश्चात् उस विनिश्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पृष्टि करते हुए, उसका उपांतरण करते हुए या उसको बातिन करते हुए ऐसा आदेश जैसा वह उपयुक्त समझे, पारित करेगा ।

परन्तु नियम 23 के अधीन पहले से जन्म की गई अफीम के अतिरिक्त जन्म की जाने वाली अपमिश्रित अफीम की मात्रा से संबंधित कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक अपीलार्थी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दशित करने के लिए कोई उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

(4) इस नियम के अधीन अपील का निपटारा करने वाले अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और उसमें अवधारण के विषय, उस पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारणों का कथन होगा ।

(5) अपील को निपटाने पर, अपील प्राधिकारी, उसके द्वारा पारित आदेश की संसूचना, अपीलार्थी को और उस अधिकारी को देगा जिसने वह आदेश पारित किया था वह विनिश्चय दिया था, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(6) इन नियम के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा ।

अध्याय 4

अफीम का विनिर्माण, विक्रय और निर्यात

31. अफीम का विनिर्माण :—अफीम का गाजीपुर और नीमच स्थित केन्द्रीय सरकार के अफीम कारखाने के सिवाए विनिर्माण नहीं किया जाएगा :

परन्तु उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन किसी प्राधिकृत व्यक्ति के विधिमाम्य कब्जे की अफीम में अफीम मिश्रण का विनिर्माण किया जा सकेगा ।

32. अफीम का निर्यात :—अफीम का निर्यात, उसके सिवाए अब निर्यात केन्द्रीय सरकार की ओर से है, प्रतिषिद्ध है ।

33. राज्य सरकारों या विनिर्माणकारी स्थापनों को विक्रय : (1) यथास्थिति राज्य सरकारों या विनिर्माणकारी स्थापनों को अफीम का विक्रय केवल सरकारी अफीम कारखाना, गाजीपुर में होगा ।

(2) गाजीपुर स्थित सरकारी अफीम कारखाने में, विनिर्माणकारी स्थापना को, अफीम का विक्रय, केवल उस राज्य सरकार के जिसकी अधिकारिता के भीतर स्थापना निवास करता है या उसके कारखाने का स्थान उस सरकार द्वारा विहित प्ररूप में है आदेशों द्वारा या उनके अधीन मंजूर किए गए परमिट के अधीन किया जाएगा ।

(3) उप-नियम (2) में निश्चित परमिट चार प्रतिभों में जारी किया जाएगा, और—

(क) वीथी प्रति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा रखे नौ आण्टी और शेष प्रतियां सरकारी अफीम कारखाना गाजीपुर को भेज दी जाएगी ।

(ख) उक्त कारखाना, दूसरी प्रति अधिलेख के लिए रखेगा और मूल प्रति अफीम के प्रेषण के साथ भेज देगा और तीसरी प्रति को, प्रदाय की गई वास्तविक मात्रा और प्रेषण की तारीख को पृष्ठांकित करने के पश्चात् जारी करने वाले प्राधिकारी को वापस लौटा देगा ।

34. अफीम की विक्रय कीमत को नियत करना :—इस अध्याय के अधीन विक्रय की गई अफीम के लिए पारित की जाने वाली कीमत केन्द्रीय सरकार द्वारा, उस रीति में जिसे वह उपयुक्त समझे, समय-समय पर नियत की जाएगी ।

अध्याय 5

विनिर्मित औषधियां

35. साधारण प्रतिषेध :—कर्च्चा कोकेन एक्जोनिन और उसके लवणों तथा डायएमिटिल माफीन और उसके लवणों का विनिर्माण प्रतिषिद्ध है ।

36. (1) प्राकृतिक रूप से विनिर्मित औषधियों का विनिर्माण : (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन नियोजित रासायनिक कर्मचारियों द्वारा अस्त की गई कोकेन से कोकेन हाइड्रोक्लोराइड के विनिर्माण को छोड़कर, कोकेन और उसके लवणों का विनिर्माण प्रतिषिद्ध है ।

(2) सरकारी अफीम कारखाने को छोड़कर, माफीन, कोडेइन, हायानिन, थियेइन, डाईहाईड्रोकोडेनोन, डाईहाइड्रोकोडेनोन, एसिटिलडाईहाइड्रोकोडेनोन, एमिटिल हाईहाइड्रो कोडेनोन, डाईहाइड्रोक्सीकोडेनोन, कोलकोडीन और उनके लवणों का विनिर्माण सरकारी अफीम कारखाने के द्वारा विनिर्माण को छोड़कर, प्रतिषिद्ध है ।

(3) औषधीय भाग का विनिर्माण, राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन ऐसी फीस के संवाय पर और ऐसी शर्तों के अनुसरण में, जो उस सरकार द्वारा, इस निमित्त विनिश्चित की जाए, किया जाएगा ।

37. संश्लिष्ट विनिर्मित औषधि का विनिर्माण :—स्थापक आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त यथा-प्राधिकृत किया जाए, इन नियमों से ससन्न प्ररूप सं. 3 में मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अधीन उनके अनुसरण में विनिर्माण को छोड़कर, अधिनियम की धारा 2 के खंड (Xi) के उप-खंड (ख) के अधीन अधिसूचित विनिर्मित औषधियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् औषधि कहा गया है) का विनिर्माण प्रतिषिद्ध है ।

38. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन नियम 37 के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के लिए या उसके संबंधित के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा जैसा कि, स्थापक आयुक्त विनिर्दिष्ट करे।

39. अनुज्ञप्ति जारी करने की शर्तें नियम 37 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक ने—

- (i) जारी करने वाले प्राधिकारी के पास (क) औपधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और (ख) अधिनियम की धारा 10 के अधीन विरचित नियमों, के अधीन उस राज्य सरकार ने, जिनमें औपधि के कबजे विक्रय और वितरण का स्थान है, औपधि निर्माण के लिए मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों प्रस्तुत नहीं कर दी हों; और
- (ii) अनुज्ञप्ति की शर्तों के सम्यक अनुपालन के लिए, अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में प्रतिभूति के रूप में 5000 रु. जमा नहीं करा दिए हों, और जारी करने वाले प्राधिकारी के समाधानप्रव से यह सबूत नहीं दे दिया हो कि, आवेदन में वर्णित कारखाने को चलाने के लिए उसके पास भूमि, भवन और अन्य साज-समान हैं तथा उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ है।

40. केवल विधि सम्मत प्रसंस्कृत सामग्रियों से विनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी औपधि का विनिर्माण केवल उन सामग्रियों से करेगा जिन्हें वह विधि सम्मत रूप से रखने का हक्कार है अन्यथा नहीं।

41. विनिर्माण की परिसीमाएं अनुज्ञप्ति जारी करते समय, उसे जारी करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्मित की जाने वाली औपधियों की मक्षा अनुज्ञप्ति करने के लिए, सभी सुसंगत कारकों का ध्यान रखेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं।

- (क) राज्य सरकार द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी को विनिर्माणशाला में किमी विनिर्मित के प्रसंस्करण के लिए, प्राबंठित गांजा;
- (ख) देश और देश से बाहर, अन्य फर्मों को प्रदाय करने के लिए प्रवेक्षित गांजा;
- (ग) उचित सूची-माल के लिए प्रवेक्षित गांजा:

परंतु यह तब जब किसी एक वर्ष के भीतर विनिर्मित की जाने वाली औपधि की कुल मात्रा, सुसंगत वर्ष के लिए, इस देश की उस प्राकक्षित उम आवश्यकता से अधिक नहीं हो जो अंतर्राष्ट्रीय स्थापक नोडों को बतार्ई गई है।

42. सुरक्षा प्रबंध—अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्माण परिसरों में ऐसे सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करेगा जो जारी करने वाला प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे।

43. विनिर्माण का प्रारंभ और समाप्ति के लिए अधिम सूचना अनुज्ञप्तिधारी, जारी करने वाले प्राधिकारी को, उम तारीख के बधि में, जिसको वह औपधि विनिर्माण का प्रारंभ करना चाहता है लिखित रूप में 15 दिन से प्रस्युत की और उसे विनिर्माण की समाप्ति के एक माह पूर्व सूचना देगा।

44. विनिर्माण की समाप्ति—अनुज्ञप्तिधारी यदि किन्ही भी कारणों से, विनिर्माण लंक्रियाएं समाप्त करता है तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी को तुरंत इस निमित्त, उस तारीख को, उपबंठित करने हुए जिसको वह विनिर्माण पुन. प्रारंभ करना चाहता है, सूचित करेगा:

परंतु यह कि, जारी करने वाला प्राधिकारी, यदि विनिर्माण की समाप्ति की प्रबधि 30 दिन से अधिक है तो भागे के सभी विनिर्माण के प्रतिबिद्ध कर सकेगा।

45. कच्चा विक्रय और वितरण—अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसंग प्रस्यवा, औपधि का कबजे में नहीं रखेगा या विक्रय या वितरण नहीं करेगा।

46. लेखा रखना और विवरणी प्रस्तुत करना—अनुज्ञप्तिधारी, सभी सम्बन्धों जिनके अंतर्गत औपधि के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई सामग्रियों का लेखा, विनिर्मित मांसाएं, विक्रय की गई या अन्यथा व्ययन की गई सामग्री वा नहीं लेखा रखेगा और स्थापक आयुक्त द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट ऐसे प्ररूप में और रीति में प्रस्तुत करेगा।

47. स्टाक का निरीक्षण प्रावि—(i) औपधि के स्टाक और उसके विनिर्माण में उपयोग की गई सामग्रियों और उससे संबंधित व्यवहारों के सभी लेखाओं और अभिलेखों का जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी निरीक्षण कर सकेगा।

(2) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी एक क्रम संख्यांकित निरीक्षण बही ऐसे प्राधिकारी के उपयोग के लिए सही दशा में रखेगा।

48. अनुज्ञप्ति का निलंबन और प्रतिवहरण—(i) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की जा सकने वाली किमी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जारी करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकता है यदि—

- (i) अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना, अंतरित की जाती है या उपपट्टा पर धी जाती है या;
- (ii) अनुज्ञप्ति की कोई शर्त भंग की जाती है; या
- (iii) अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम के अधीन या किसी राज्य में स्थापक औपधि से संबंधित तत्समय प्रस्युत किसी विधि के अधीन सिद्धबोध ठहराया जाता है।

(2) उप नियम (i) के अधीन कोई प्रादेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को उक्त प्रादेश के बिरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता या यदि वह ऐसा चाहे तो, उसे व्यक्तिगत रूप से, सुन नहीं लिया जाता।

49. अपील—(i) अनुज्ञप्तिधारी, नियम 48 के अधीन किए गए विनिश्चय या पारित प्रादेश के बिरुद्ध ऐसे विनिश्चय या प्रादेश के उसे संसूचित किए जाने के 30 दिन के भीतर, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा—

- (i) जहां ऐसा विनिश्चय और प्रादेश स्थापक आयुक्त के अधीनत्व किसी प्राधिकारी ने किया है वहां स्थापक आयुक्त को; और
- (ii) किन्ही अन्य मामलों में, बोर्ड को।

(2) अपील के प्रत्येक शापन के साथ उम विनिश्चय या प्रादेश की, जिसके बिरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति लगी होगी।

(3) इस नियम के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में फाईल की जाएगी जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

50. अपील के लिए प्रक्रिया (i) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को यदि यह चाहता है तो व्यक्तिगत रूप में सुनने का अवसर देगा।

(2) अपील प्राधिकारी, प्रमाण की पुनर्जांच के दौरान यदि उसका यह समाधान हो गया है कि अपील के आधारों में किसी आधार का खोरा जानबूझकर या अयुक्ति युक्त रूप से नहीं किया गया था तो, अपीलार्थी को, अपील के आधारों में अतिनिश्चित कोई आधार जोड़ने की अनुज्ञा-प्रदान कर सकता है।

(3) अपील प्राधिकारी, ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक हो, ऐसे विनिश्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करने, उपांतरित करने या नातिल करने को ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे पारित कर सकेगा।

(4) इस नियम के अधीन अपील का निपटारा करने वाला अपील प्राधिकारी का आदेश लिखित में होगा और उसमें उन विषयों का, किन्ना विनिश्चय किया जाता है, और विनिश्चय के आधारों का कथन होगा।

51. अनुज्ञप्ति का अन्वयण:—कोई अनुज्ञप्तिधारी, यदि यह चाहे तो, 15 दिन से अन्यून की सूचना अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी को लिखित में देकर अपनी अनुज्ञप्ति का अन्वयण कर सकेगा।

52. अनुज्ञप्ति आदि के रूकरण पर शोधियों के स्टॉक का निपटारा:—शोधियों के उस स्टॉक का, जो अनुज्ञप्ति के पर्यवसान या रद्दकरण या अन्वयण के समय अनुज्ञप्तिधारी के कब्जे में हो, ऐसी रीति से, जैसी कि स्वापक आयुक्त इस निमित्त विनिश्चित करे, निपटारा किया जाएगा।

अध्याय 6

स्वापक शोधियों और मन. प्रभावी पदार्थों का आयात, निर्यात और लड़ाई

53. आयात प्रतिबंध:—इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची 1 में विनिश्चित स्वापक शोधियों और मन. प्रभावी पदार्थों का भारत में आयात और भारत से बाहर निर्यात प्रतिबंधित किया जाता है।

54. अफ म आदि का आयात सरकार, अफ म कारखाने द्वारा आयात को छोड़कर—

- (1) अफीम, पोस्त तृणा का सांद्र और
- (2) मार्फीन, कोडेइन, विनेन और उसके लवणों, का आयात प्रतिबंधित किया जाता है।

55. आयात प्रमाणपत्र के लिए आवेदन: (1) जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा, इन नियमों से उपाबद्ध प्रकृत. 4 में जारी किए गए परेषण को: बाबत, किन्ना आयात प्रमाणपत्र के बिना, अनुसूच. 2 में विनिश्चित किन्ना स्वापक शोधिया मन. प्रभावी पदार्थ का भारत में आयात नहीं किया जा गा।

(2) स्वापक शोधि का बाबत उपनियम (1) के अर्धन किन्ना आयात प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाला आयातकर्ता ने अपने आर्बंटन के साथ संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी उत्पाद-परमिट की मूल प्रति और प्रमाणित प्रति, प्रस्तुत करेगा।

(3) आयात प्रमाणपत्र के लिए आवेदन में ऐसे सप्त ध्यीरों का, जो स्वापक आयुक्त द्वारा विनिश्चित किया जाए, कथन होगा।

56. आयात प्रमाणपत्र जारी करना: (1) जारी करने वाला प्राधिकार नियम 56 के उपनियम (1) में विनिश्चित आयात प्रमाणपत्र का साथ प्रतियाँ तैयार करेगा, और उनका सम्बन्धहार, इसके त.के उपबंधित र.ति में करेगा, अर्थात्:—

(क) (1) आयातकर्ता को, मूल प्रति और दूसरा प्रति देगा, जो मूल प्रति को निर्यात करने वाले देश को प्रेषित करेगा, और दूसरा प्रति को उस संसा-शुल्क सदन, भूमि समाशुल्क केन्द्र, या विमानपरतन को, जहाँ परेषण पहुंचता है, या, पार्सल ढाक द्वारा आयात क गया में, परिवान करने वाले ढाकषर को, प्रस्तुत करेगा, जिसने कि स्वापक शोधियों और मन.प्रभावी पदार्थों के परेषण का परिधान अधिप्राप्त किया जा सके।

(2) समा शूलक कलक्टर या ढाकपाल, आयातकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई प्रति पर यह कथन करेगा कि, स्वापक शोधियों और मन. प्रभावी पदार्थों का वास्तव में आयात हो चुका है और दस्तावेज को आयातकर्ता को लौटा देगा, जो उस पर यह वक्षित करेगा कि उसने मूल प्राप्त कर लिया है।

(3) आयातकर्ता, आयात प्रमाणपत्र का दूसरा प्रति, उसमें समाशुल्क कलक्टर या ढाकपाल का पृष्ठांकन और अपना स्वयं का पृष्ठांकन करते हुए जारी करने वाले प्राधिकार को, निम्नलिखित क: मार्फ्त लौटा देगा:—

(1) जहाँ आयात प्रमाणपत्र, स्वापक शोधि से संबंधित है, वहाँ राज्य के उन उत्पाद शूलक प्राधिकारियों क: मार्फ्त जिनने नियम 55 के उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए उत्पाद-शुल्क परमिट प्रस्तुत किया गया था;

(2) जहाँ आयात प्रमाणपत्र मन.प्रभावी पदार्थ से संबंधित है, वहाँ संबंधित राज्य के शोधि नियंत्रक का मार्फ्त।

(ख) तीसरा प्रति संबंधित समा शूलक कलक्टर को देा जाना चाहिए जो उसे स्वापक शोधि या मन.प्रभावी पदार्थ का निर्यात का जाने वाला वास्तविक परिमाण का पृष्ठांकन करते हुए, निर्यात प्राधिकार को, जिने निर्यातकर्ता देश क: सरकार से परेषण प्राप्त करते समय प्राप्त निर्यात प्राधिकार पत्र को एक प्रति के साथ अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकार को वापस कर देगा।

(ग) स्वापक शोधि, के संबंध में निर्यात प्रमाणपत्र का शेष प्रति उस राज्य के उत्पादशुल्क प्राधिकारियों को देा जाना चाहिए जिसमें स्वापक शोधि निर्यात की जाती है, मन. प्रभावी पदार्थ के संबंध में प्रमाण पत्र क: उक्त प्रति आयातकर्ता द्वारा इस उपनियम के उप-बंध (क) के अर्धन पेश की गई प्रति से मिलान के लिए संबंधित राज्य के शोधि नियंत्रक को देा जाना चाहिए।

(घ) पांचवीं प्रति निर्यातकर्ता देश की सरकार को, इस उपनियम के उपबंध (क) के अर्धन आयातकर्ता द्वारा उते पेश की गई प्रति से मिलान के लिए, मौप: जाता चाहिए।

(ङ) छठा प्रति शोधि नियंत्रक, भारत सरकार को देा जाना चाहिए।

(च) सातवीं प्रति जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपने पास रखा जाना चाहिए।

(2) नियम 55 के उपनियम (1) के अर्धन जारी किया गया आयात प्रमाणपत्र में एक से अधिक परेषणों से संबंधित शोधि या पदार्थ के परिमाण का आयात अनुज्ञात किया जा सकता है।

57. अधिवहन अधिनियम का धारा 79 और नियम 53 के उपबंधों के अर्धन रहते हुए, अनुसूच. 2 में विनिश्चित किन्ना स्वापक शोधि या मन. प्रभावी पदार्थ के किन्ना परेषण को भारत होकर अधिवहित किए जाने का अनुज्ञा तब तक नहीं देा जाएगा जब तक कि ऐसे परेषण

के साथ निर्यातकर्ता देश की सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किया गया विधिमन्व्य निर्यात प्राधिकार पत्र संलग्न नहीं हो।

परन्तु यह कि यह नियम ऐसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावक पदार्थों के लघु परिमाणों के जिसका जहाज या वायुयान पर सवार किसी व्यक्ति के चिकित्सा या चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यकता है जहाज या वायुयान द्वारा वहन की जाय नहीं होगा।

58. निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन (1) अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावक पदार्थ का निर्यात, इस नियमों में संलग्न प्रारूप नं 5 में जारी करने वाले प्राधिकारों द्वारा परेषण के संबंध में जारी किए गए निर्यात प्राधिकार पत्र के बिना भारत से बाहर नहीं किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन करने वाला निर्यातकर्ता निम्नलिखित परन्तुत करेगा,—

- (क) जहाँ निर्यात प्राधिकार पत्र का संबंध स्वापक औषधि से है, वहाँ अपने आवेदन के साथ संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए उत्पाद अनुज्ञापत्र की मूल प्रति या एक प्रति-प्रमाणित प्रति, और
- (ख) आयात प्रमाणपत्र की मूल प्रति जो आयात करने वाले देश की सरकार द्वारा जारी किया गया हो और संबंधित सरकार के मासिक अनुपादेन की प्रमाणित करता हो।

(3) उप-नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावक पदार्थ का निर्यात भारत से बाहर निर्यातकर्ता द्वारा प्रारूप 6 में घोषणा का मूल और दो प्रतियाँ स्वापक औषधि या शुल्क को भेज दिए जाने के पश्चात् किया जा सकता है, जो आयातकर्ता देश के संबंधित प्राधिकारों को घोषणा का दो प्रतियाँ उस प्राधिकार से यह अनुरोध करते हुए भेजेगा कि यह घोषणा का दोनों प्रतियों पर यह प्रमाणित करे कि मनःप्रभावक पदार्थ का वास्तविक परिमाण सम्यक् रूप से आयातित किया गया है, और उक्त प्रति को वापस भेज दें। उक्त पदार्थों के परेषण के साथ घोषणा का तीन प्रतियाँ निर्यातकर्ता द्वारा आयातकर्ता देश को भेज दें जना चाहिए तथा उसका चार प्रतियाँ अपने पास रख लेना चाहिये।

(4) निर्यात प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन में ऐसे ध्योरे होंगे जो स्वापक औषधि शयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

59. निर्यात प्राधिकार पत्र का जारी किया जाता: (1) जारी करने वाला प्राधिकारों नियम 58 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट निर्यात प्राधिकारों को पांच प्रतियाँ भेजना और उनका व्यवहार नये उपबंधित रीति से करेगा, अर्थात् —

- (क) मूल प्रति परेषण की जाय और परेषण के साथ अनुसूची 3 में भेजी जायगी।
- (ख) दूसरी प्रति पतन के सीमा शुल्क कलक्टर को भेजी जायगी, जो उसे उस पर निर्यात के तारखे और निर्यात के गर्ह मास उपदर्शित करेगा, जारी करने वाले प्राधिकारों को वापस कर देगा।
- (ग) तृतीय प्रति निर्यातकर्ता देश की सरकार को भेजी जायगी।
- (घ) चतुर्थ प्रति उस राज्य के, जिसमें निर्यातकर्ता के कारोबार का स्थान है, उत्पाद-शुल्क प्राधिकारों को भेजी जायगी।
- (ङ) पांचवां प्रति जारी करने वाले प्राधिकारों द्वारा अपने कार्यालय में रखा जायगा।

जहाँ स्वापक औषधि या मनःप्रभावक पदार्थ का परेषण एक या अधिक देश होकर यमान्तरित या अधि-बद्धि होने वाला है वहाँ निर्यात प्राधिकार पत्र का उनमें

प्रतिरिक्त प्रतियाँ, जितने अपेक्षित हों, भेजार की जायगी और संबंधित देश या देशों को भेजी जायगी।

60. जहाँ यातायात अधिनियम क द्वारा 79 और नियम 53 के उपबंधों के अधीन करते हुए, अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट स्वापक औषधि या मनःप्रभावक पदार्थ के किसी परेषण को संभाव्य कलक्टर को अनुज्ञा के सिवाय, भारत में किसी पतन पर लवन करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी।

61. पत्राभ की प्रक्रिया:— सीमा शुल्क कलक्टर अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट स्वापक औषधि या मनःप्रभावक पदार्थों के किसी परेषण को जहाँ के लिए अनुज्ञात करने समय अन्य तारों के साथ साथ प्रथम यह समाधान कर लेगा कि परेषण के साथ निर्यातकर्ता देश द्वारा जारी किया गया विधिमन्व्य निर्यात प्राधिकार पत्र संलग्न है।

62. परेषण का मार्ग परिवर्तन:— (1) सीमा शुल्क कलक्टर ऐसे परेषण को पूर्वोक्त निर्यात प्राधिकार पत्र में नामित से भिन्न गंतव्य स्थान को मार्ग परिवर्तित करने से रोकने के लिए सभी सम्यक् अधुपाय करेगा।

2. (क) सीमाशुल्क कलक्टर ऐसे परेषण को निर्यात प्राधिकार पत्र की संलग्न प्रति में नामित देश से भिन्न देश की ओर मार्ग परिवर्तित करने की अनुज्ञा, नियम 58 के अधीन यथा उपबन्धित के अनुसार जारी करने वाले प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए निर्यात प्राधिकार पत्र को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए, इस प्रकार से वे सकेगा मानो परेषण का वह मार्ग परिवर्तन भारत से उस देश को या नए गंतव्य के राज्यसंघ को निर्यात हो।

(ख) सीमा शुल्क कलक्टर ऐसे स्वापक औषधि या मनःप्रभावक पदार्थ का वास्तविक मात्रा के संबंध में, जारी करने वाले प्राधिकारों को सूचना देना जिसके परेषण के मार्ग परिवर्तन की खण्ड (क) के अधीन अनुज्ञा दी गई है और लव जारी करने वाला प्राधिकारों उस देश को, जहाँ वे परेषण नल रूप में चला है, सूचित करेगा।

63. परेषणों के डाकघर पेट्टी भावि की मार्फत आयात और निर्यात का प्रतिबंध:— किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावक पदार्थ के परेषण को आयात या निर्यात किसी डाकघर पेट्टी या किसी बैंक की मार्फत करना प्रतिबंधित है।

अध्याय 7

मनःप्रभावक पदार्थ

64. आधारेण प्रतिबंध:— कोई भी व्यक्ति, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावक पदार्थों का, विनिर्माण नहीं करेगा, उनको अपने कब्जे में नहीं रखेगा, उनका परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, विक्रय, उपभोग या उपयोग नहीं करेगा।

65. मनःप्रभावक पदार्थों का विनिर्माण:— (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट से भिन्न किसी मनःप्रभावक पदार्थों का विनिर्माण, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के अधीन बनाए गए औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1945 के नियम कहा गया है) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त उस राज्य में औषधि नियंत्रण के आर माधक किसी प्राधिकारों द्वारा मंजूर की गई किसी अनु-जति की शर्तों के अनुसरण में किया जायगा।

(2) किसी राज्य में औषधि नियंत्रण का आरमाधक प्राधिकारों (जिसे हमसे इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारों कहा गया है) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक प्रयुज मनःप्रभावक पदार्थों की देश में वार्षिक आवश्यकता के निर्धारण की बाबत, औषधि नियंत्रण (भारत) से परामर्श करेगा और ऐसे मनःप्रभावक पदार्थों की राज्य में आवश्यकता, राज्य में बाहर अन्य किसी विनिर्माताओं को प्रदाय के लिए अपेक्षित ऐसे पदार्थों की मात्रा और किसी

विनिर्माता द्वारा उचित प्रकार रखने के लिए अपेक्षित ऐसे पदार्थों की मात्रा को हिसाब में लेने हुए, आवेदन द्वारा, ऐसे पदार्थों की मात्रा की वह सीमा विनिर्दिष्ट करेगा जो राज्य में विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित की जा सकेगी।

(3) उक्त मन्-प्रभावी पदार्थों की मात्रा, जो एक वर्ष में एक अनु-अतिवारी द्वारा विनिर्मित की जा सकेगी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनु-अतिवारी करने समय अनुज्ञापितवारी को संसूचित की जाएगी।

66. मन्-प्रभावी पदार्थों का कब्जा, अर्थात् :- (1) कोई भी व्यक्ति 1945 के नियम के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रयोजन के लिए किन्हीं मन्-प्रभावी पदार्थों को अपने कब्जे में तब तक नहीं रखेगा जब तक कि उसे इन नियमों के अधीन उक्त किसी प्रयोजन के लिए ऐसे मन्-प्रभावी पदार्थों को अपने कब्जे में रखने के लिए विधिमान्य रूप से प्राधिकृत नहीं कर दिया जाता है।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, सरकार या स्थायी निकाय द्वारा या खीरात या स्वेच्छा से किए गए चन्दे से अनुरक्षित या पोषित कोई अनुसंधान संस्था या अस्पताल या औषधालय, जो 1945 के नियम के अधीन किसी मन्-प्रभावी पदार्थों को अपने कब्जे में रखने के लिए प्राधिकृत नहीं है, या कोई व्यक्ति, जो 1945 के नियम के अधीन इस प्रकार प्राधिकृत नहीं है, ऐसे पदार्थों की उसी उचित मात्रा, जो उनकी वास्तविक वैज्ञानिक आवश्यकताओं या वास्तविक चिकित्सीय आवश्यकताओं या दोनों के लिए, आवश्यक हों, ऐसी अवधि के लिए जो उक्त अनुसंधान संस्था या उक्त अस्पताल या औषधालय या व्यक्ति आवश्यक समझे अपने कब्जे में रख सकेगा।

परंतु जहां ऐसा मन्-प्रभावी पदार्थ किसी ध्यष्टि के कब्जे में, उक्त व्यक्तिगत चिकित्सीय उपयोग के लिए है वहां उसकी मात्रा, एक समय में एक ही खुराक यूनिट में अधिक नहीं होगी।

(3) उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट अनुसंधान संस्था, अस्पताल और औषधालय, अपने कब्जे के मन्-प्रभावी पदार्थों के क्रय और उपभोग के संबंध में समुचित लेखा और अभिलेख रखेंगे।

67. मन्-प्रभावी पदार्थों का परिवहन : (1) नियम 64 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मन्-प्रभावी पदार्थों के परिवहन का परिवहन, अन्तरराष्ट्रिय आयात या 6 अन्तरराष्ट्रिय निर्यात तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि परिवहन के साथ इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप 7 में, और इसमें उक्त पश्चात् उपबंधित रीति में, एक परिवहन पत्र नहीं लगा है।

(2) उप नियम (1) में विहित परिवहन पत्र, तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, और उक्त पत्र की मूल प्रति और दूसरी प्रति मन्-प्रभावी पदार्थों के परिवहन के साथ परिवर्तनी को भेज दी जाएगी, और यह परिवर्तनी मात्रा की प्राप्ति की विधिद्वियों को मूल और दूसरी प्रति पर पृष्ठांकित करने के पश्चात् परिवर्तनी को उसके उपयोग के लिए उक्त पत्र की दूसरी प्रति लौटा देगा।

(3) परिवहन पत्र की दूसरी प्रति पर उपर्युक्त मन्-प्रभावी पदार्थों की मात्रा की प्राप्ति के प्रतिनिर्देश से उक्त पत्र की तृतीय प्रति पर आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।

(4) परिवहन और परिवर्तनी ऐसे परिवहन पत्र को दो वर्ष की अवधि तक रखेंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विहित प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी भी समय उक्त पत्र का निरीक्षण कर सकेगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

68. निरसन और व्यावृत्ति (1) केन्द्रीय अफीम नियम, 1934, अफीम-कर भावक दण्ड (आयात, निर्यात और पोताग्रहण) नियम, 1957 और केन्द्रीय विनिर्मित मात्रक दण्ड नियम, 1962 निर्दिष्ट किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपनियम (1) द्वारा निरसित किसी नियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तत्पर्यंत कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इन नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं है, इन नियमों के तत्कालीन उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्रसूची 1

(नियम 53 और 64 के लिए)

1. स्वायत्त औषधियां:-

1. कोका की पत्ती
2. कैनेबिस (मांग)
3. (क) एसियरकिन
(ख) डाइएमिलमारफिन (हैरोइन)
(ग) डाइहाइड्रोकोर्सामारफिन (हेस्पमारफिन)
(घ) इटारफिन
(ङ) केटोवैमीडोन

और उनके सबण, विनिर्मितिया, मिश्रण, निष्कर्षण और अन्य पदार्थ जिसमें इनमें से कोई औषधि हो।

II. मन्-प्रभावी पदार्थ

क्रम अंतरराष्ट्रीय संस्था अ-कार्यालय	अन्य अणुक्रावत्त नाम	रासायनिक नाम
(1)	(2)	(3)
1	डी ई टी.	एन. एन. डाइएथिल टिप्टेमीन
2	डी एम. एन. पी	3-(1, 2-डाइमैथिल होप्टा-इल) 1-हाइड्रोक्सी-7, 8, 9, 10-टेट्राहाइड्रो-6, 6, 9-ट्राइड्रो-मैथिल 6 एन डाइवैजो (बी डी) पावरन
3.	डी. एम. टी	एन. एन. डाइमैथिल टिप्टे-मीन
4. (+)	माइनक्राईड एन एन. डी. एन. डी -25	(+) एन. एन. डाइएथिल माइनक्राईड (डी-माइनक्राईड) डाइ-एथिल एमाइड
5	मेन्केवीन	3, 4, 5 ट्राइमथेलेसॉफ नैथिलमैत
6.	पेराडैकियाल	3-हेक्सीमल-1-हाइड्रोक्सी 7, 8, 9, 10-टेट्राहाइड्रो 6, 6, 9 - ट्राइमथिल - एन. डाइवैजो (बी. डी.) पावरन
7	एटीएम-डिब्ल्यू-डाइड पी सी डी.	एन-एथिल-1-फेनिम माइ-करो हक्सील एमोन
8	पेराडैकियाल पी. एन. पी.	1---(1)---फेनिम साइक्लो-हाइड्रोपीपीडाइड

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
	माइलमाइन		3—(2—डाइक्लेथिल ऐमानी एथिल)—	24. क्लोनाजेपाम		5—(ओ क्लोरोफेनिल)	
	माइलोटगिन		4—डाइहाइड्रोक्लोरो			1, 3—डाइहाइड्रो-7-नाइट्रो-2 एच-1, 4 बेजोडायजेपिन-2-वन	
10.	म.इ.लौकाडबिन		3—(2—डाइक्लेथिल एमिनोएथिल 1—1/4 इथॉल—डाई एल-डाइहाइड्रोअनफास्फेट	25. क्लोराजेपेट		7—क्लोरो-2, 3—डाइ-हाइड्रो 2—अक्सो-5- फेनिल-1 एच, 4—बेजोडायजेपिन-3-कार्बा-अक्सोसिक अम्ल	
11.	एस.टी. पी. डी. ऑ. एम.		2—ऐमोनो-1—(2,5—डाइमोथीक्सो 4—मैथिल) फेनिलप्रोपेन	26. क्लोटायाजेपाम		4—(ओ-क्लोरोफेनिल)—7-एथिल-1, 3—डाइहाइड्रो-1 मैथिल 2-एचथायेनो (2,3 ई)—1,4—डाइएजेपिन 2-वन	
12.	टेनोसाइक्ल(डॉम)	टी.सा. पी	1—(1-2 थाजेनिल) साइक्लो हाक्सिमल पिपेरिडीन	27. क्लोक्वाजोलम		10—क्लोरो-11 बी-(ओ-क्लोरो-रोफेनिल)—2,3, 7, 11बी-ट्रेट्राहाइड्रो आक्साजोलो (3, 2, डी) (1,4) बेजोडायजेपिन 6 (5एच)—वन	
13.	टी.एच.सी.		टेट्राहाइड्रोक्नायिनोल्स निम्नलिखित समाध्यक्षी Δ 6ए (10ए), Δ 6ए (7)—7, Δ 8, Δ 9, 10ए (11) और उनके त्रिविम रासायनिक रूपभेद	28. डेलोराजेपाम		7—क्लोरो-8—(ओ-क्लोरो फेनिल)—1, 3—डाइहाइड्रो-2एच-1 4—बेजोडायजेपिन -2—वन	
14.	डी ओ बी.		2,5—डाइमथाक्सो-4—थोमो-एम्फेटेमिन	29. एस्टाजोलम		8—क्लोरो-6-फेनिल-4 एच-एस-ट्रायाजोलो (4-3-ए) (1,4-बेजोडायजेपिन)	
15.	एम. डी. ए.		3,4—मैथिलित डाइक्लोमो-एम्फेटेमिन	30. एथिनामेट		1, एथिनामाइक्लो-एकमानो-कार्बामिट	
16.	मैक्लाक्लेरिन		3—(ओ-क्लोरोफेनिल) 2—मैथिल 4 (3-एच) क्लिनेजीसिनोन	31. एथिल थोफनजेपेट		एथिल-7 - क्लोरो-5- (ओ-फ्लुओरोफेनिल) —2,3, डाइ-हाइड्रो-2-ओक्सो 1 एच. 1, 4—बेजोडायजेपिन-3 कार्बा-क्लोलेट	
17.	मैथाक्वेलोन		2—मैथिल 3 ओ टैमिल-4 (3 एच) क्लिनेजेसिनोन	32. फ्लुडाइएजेपाम		7—क्लोरो-5- (ओ-फ्लुओ-फेनिल) -1,3, डाइहाइड्रो 1—मैथिल-2 एच-1, 4 बेजो-डायजेपिन-2-वन	
18.	अल्पाजायम		8-क्लोरो—1—मैथिल-6-फेनिल-4एच-एस-ट्रायाजोला (4, 3ए) (1,4) वर्जीडा-याजेपिन	33. फ्लुनाइड्राजेपाम		5—(ओ-फ्लुओरोफेनिल); 1,3 डाइहाइड्रो-1-मैथिल 7-नाइट्रो-2-एच-1, 4-बेजोडायजेपिन 2-वन	
19.	अम्फेथामोन		2—(डाइएथिल ऐमिनो) प्रो-पियेनफेनोल	34. हैलाजेपाम		7-क्लोरो-1, 3-डाइहाइड्रो-5-फेनिल-1 (2,2,2-ट्राइ-फ्लुओरोएथिल)-2, एच-1, 4-बेजोडायजेपिन-2-वन	
20.	बैक्फेटामिन		एन बीजिल एन-ए डाइ-मैथिल-फेनेथिलऐमोन	35. ड्रैक्वाक्साजोलम		10-थोमो-11 बी-(ओ-फ्लुओरोफेनिल)-2,-3, 7, 11 बी-ट्रेट्राहाइड्रो आक्साजो-लो (3,2-डी) (1,4) बेजोडायजेपिन-6 (5-एच)—वन	
21.	ब्रामाजेपाम		7-थोमो-1-3-डाइहाइड्रो-5—(2-पिरोडिन)-2 एच—1, 4—बेजोडायजेपिन —2—वन				
22.	क्लोराजेपाम		7—क्लोरो—1, डाइहाइड्रो—3—डाइक्लोमो-1—मैथिल—5—फेनिल—2 एच—1, 4—बेजो-डाइएजेपिन 2—वन डाइ-मैथिलकार्बामेट (एस्टर)				
23.	क्लोराजेम		7—क्लोरो-1-मैथिल—5—फेनिल 1-एच-1, 5—बेजो-डायजेपिन 2, 4 (3एच, 5 एच-डायोन)				

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
36. केटाभोलम			11-क्लोरो-8, 12-डी-डाइहाइड्रो-2, 8, डाइमेथिल-12-डी फेनिल-4 एच-(1, 3) 1-माक्स-जिनो-3(3, 2-डी) (1, 4) बेंजोडायजेपिन-4, (6एच)-डाइवन.	49. प्राजेपाम			7-क्लोरो-1- (साइक्लो-प्रोफिलमेथिल- 1, 3-डाइहाइड्रो- 5-फेनिल-2 एच-1, 4-बेंजोडायजेपिन-2-वन
37. कैफेटामिन	एस. पी. ए.	(-)-1-डाइमेथिल एमिनो-1, 2-डाइफेनिल एथेन		50. टेम्पाजेपाम			7-क्लोरो-1, 3-डाइहाइड्रो-3-हाइड्रॉक्सि-1-मेथिल-5-फेनिल-2 एच-1-4- बेंजोडायजेपिन-2-वन
38. मोप्राजोलम			6-(प्रो-क्लोरोफेनिल)-2, 4- डाइहाइड्रो 2- (4-मेथिल-1-1-पिपेराजिनिल) मेथिलिन)-8-नाइट्रो-1 एच-इमिडाजो (1, 2, ए) (1, 4) बेंजोडायजेपिन-1-वन	51. टेट्राजेपाम			7-क्लोरो-5-(साइक्लो-हेक्सिल)-1-वाई एल.-1, 3-डाइहाइड्रो-1-मेथिल-2 एच-1-4, बेंजोडायजेपिन-2-वन
39. लोमेटाजेपाम			7-क्लोरो-5 (प्रो-क्लोरो-फेनिल)-1, 3,- डाइहाइड्रो-3 — हाइड्रॉक्सि-1-मेथिल 2 एच-1, 4-बेंजोडायजेपिन-2-वन	52. ट्रियाजोलाम			8-क्लोरो-6 - (प्रो-क्लोरो-फेनिल)- मेथिल-4, एस-ट्रियाजोलो- (4, 3, ए) (1, 4) बेंजोडायजेपिन
40. मैजिनडोल			5-(पी-क्लोरोफेनिल)-2, 5 डाइहाइड्रो-3 एच इमिडाजो (2, 1-प्रो) डाइसोइन्डोल-5- प्रो एल	53. लक्षण और उपरोक्त का विनिर्मितयां ।			
41. मैडाजेपाम			7-क्लोरो-2, 3-डाइहाइड्रो-1-मेथिल 5-फेनिल-1-एच 1, 4-बेंजोडायजेपिन				
42. मेथिप्राइलोन			3, 3-डाइएथिल-5-मेथिल-2, 4-पिपेनिडिन-डाइप्रोन				
43. नाइमेटाजेपाम			1, 3-डाइहाइड्रो-1-मेथिल-7-नाइट्रो-5-फेनिल- 2एच-1, 4-बेंजोडायजेपिन-2-वन				
44. प्रोक्साजोलम			10-क्लोरो- 2, 3, 7, 11 डी-टेट्राहाइड्रो- 2-मेथिल-11-डी फेनिलप्रोक्साजोलो (3, 2-डी) (1, 4) बेंजो-डायजेपिन 6 (5 एच)-वन				
45. फेनिडमेट्राजीन			(+)-3, 4-डाइमेथिल 2-फेनिलमाफोलिन				
46. फेंटरमीन			**डाइमेथिल फेनीलिथिल एमिन				
47. विनाजेपाम			7-क्लोरो-1, 3-डाइहाइड्रो-5-फेनिल-1- (2-प्रोपिल) 2-एच-1, 4-बेंजोडायजेपिन-2-वन				
48. विप्राकाल			1, 1-डाइफेनिल-1- (2-पिपेरिडिल)- मेथानिल				

अनुसूची 2

नियम 55 (1) देखिए।

मन : प्रभावी पदार्थ

अंतराष्ट्रीय अ-एककयत	अल्प अ-एककयत	रासायनिक नाम
(1)	(2)	(3)
1.	डी. ई. टी.	एच.एच. डाइएथिल ट्रिप्टे-मीन
2.	डी. एम. एच. पी.	3-(1-2-डाइमेथिल ह्योप्टा हल) 1-हाइड्रॉक्सि-7, 8, 9, 10-टेट्राहाइड्रो-6, 6, 9 ट्राइमेथिल 6 एच डाइवेजो (बी. डी.) पाइरन
3.	डी. एम. टी.	एच.एल. डाइमेथिल ट्रिप्टेमीन
4. (+)	लाइमजॉइड एम.एम. डी. एल.एम.बं.-25	(25) एन. एन. डाइ-एथिल लाइमजैमाईड (इंज.हसर्जि कज-वन डाइएथिलामाईड)
5. (+)	मैक्केवान	3, 4, 5 ट्राइमेथिलप्रोक्सीफ-नैथिल मीन
6.	पैराहेक्सिल	3. हैक्सिल-1-—हाइड्रॉक्सि-7, 8, 9, 10-— टेट्राहाइड्रो 6, 6, 9-ट्राइमेथिल 6 एच डाइवेजो (बी. डी.) पाइरन
7.	एटीसाइक्लीडाइन	एच-एथिल-1-फेनिल साइक्लोहेक्सील ऐमीन

1	2	3	4	1	2	3	4
8.	रोपीसाइक्ली- डाइन	पी.एच. पी. पी.वाई. साइलोसाइन साइलोटाइन	पी.सी	1. (1—फैनिल हैक्सील साइक्लो हाइड्रोसोरोडाइन) 3—(2—बाइमेथिल ऐमीनो) एथिल (4—हाइडाक्सी) इंडोल	20. मैथेक्वेलोन	2—मैथिल 3 बॉटीलिन-4 (2 एच) क्विनेजैलिनोन	
10.	साइपोमाइडिन		3—(2—बाइमेथिल ऐमिनो- एथिल)इंडोल-4-वाई(एल डाइहाइड्रोजम कास्फेट)	22. फेन्सीक्लाइडीय पो.सी.पी.		1—(1—फैनिल साइक्ल- सांहीक्सील पिपेरिडीन)	
11.		एच.टी.पी बी. ओ.एम.	2—ऐमीनो-1 (2,2,5 वाईसीथोक्सी 4—मैथिल फैनिलप्रोपेन	23. फेनमेट्राइडीन		3—मैथिल-2—फैनिल माफो- लीन	
12.	टैनोसाइक्लीडीन	टी.सी. पी.	1—(1) 2—बाऐनिल (साइक्लो होक्सील) पिपेरिडीन	24. लवण और उपरोक्त की विनिर्मितयां	अनुसूची 3 [नियम 58(3) देखिए]		
13.		टी.एच.सी.	टेट्राहाइड्रोकरनाविनोल्स निम्न- लिखित समाव्ययी—△ए △(10 ए) △6ए(7) △7. △8. △9 △10ए△(11) और उनके त्रिविम रासायनिक रूपमें	(1) (2) (3) (4)			
14.		बी.ओ. बी.	2,5, डाइमैथाक्सी 4 ओमो एम्फैटैमिन	मनः प्रभावी पदार्थ			
15.		एम.बी. ए.	3,4—मैथिलीन बाइ- थाक्सी—एमफेटैमिन	5. 1. ग्रमोबाबिटल		5—एथिल-5 (3—मैथिल- म्यूटिल) बाबिट्यूरिक अम्ल	
16.	एम्फेटैमिन		(+) - 2ऐमीनो-1—फैनिल प्रोपेन	2. साइक्लोबाबिटल		5-(1—साइक्लोलैक्सीन 1—वाई एल)-5—एथिल- बाबिट्यूरिक अम्ल	
17.	डैक्साएम्फेटैमिन		(+) —2—मेमीनो-1 प्रोपेन	3. ग्लुटिथिमाइड		2—एथिल-2—फैनिलग्लुटा- रिमाइड	
18.	मैक्लोक्वेलोन		3—(ओक्लोरोफैनिल) 2 मैथिल 4(3—एच)क्विनेजै- लिनोन	4. पेंटाजोलीन		1,2,3,4,5,6—डैक्साहाइड्रो- 6, 11—डिमेथिल-3- (3—मैथिल — 2—म्यूटीनिल)— 2,6 मैथानी-3—बेंजोसिन- 8—ओ. एल.	
19.	मैथेमफेटामिन		(+) 2 मैथिलऐमिनो—1 फैनिलप्रोपेन 35	5. पेटोबाबिटल		5—एथिल-5-(1—मैथिल- म्यूटिल) बाबिट्यूरिक अम्ल	
				6. सैकोबाबिटल		5—एथिल-5 (1—मैथिल- म्यूटिल) बाबिट्यूरिक अम्ल	
				7. लवण और उपरोक्त की विनिर्मितियां			

प्ररूप सं. 1
(नियम 7 देखिए)
भारत सरकार
केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो

अफीम या अफीम पोस्तलून के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त उपजाने की अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्तिधारी का नाम और उसके मातापिता के नाम	ग्राम	परगना जिला/तहसील	अनुज्ञप्ति संख्या	अनुज्ञप्त क्षेत्र	राजस्व अभिलेख के अनुसार प्थाट सं०
1	2	3	4	5	6
			हेक्टर	क्षेत्र	हस्ताक्षर
		मायागया क्षेत्र			उप निरीक्षक
		जांच मापित क्षेत्र			(निरीक्षक) बी. बी. ओ.
		फसल कटाई क्षेत्र			उप निरीक्षक

जिला अफीम अधिकारी के हस्ताक्षर और मुद्रा

(तोस के समय की जाने वाली प्रविष्टियाँ)

प्लॉट सं.	बी. ओ. जी० द्वारा मनुनुर्देशित अफीम का बर्ग	अफीम का भार (कि ग्रा.)	70°सें. पर कल्पित भार (कि ग्रा.)	70°सें. पर कल्पित भार के आधार पर- संदेय कीमत	कारखाने में अफीम की अंतिम परीक्षा तक रोकी गई राशि	तोस लेने के समय संदेह राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अंतिम संवाय के समय की जाने वाली प्रविष्टियाँ

कारखाने की रिपोर्ट के आधार पर 70° सें. पर अफीम का कुल भार	बेतिहर की औसत उपज	कारखाने की रिपोर्ट के आधार पर संदेय कुल राशि	तोस के समय पहले ही संदेह राशि	अंतिम संवाय के समय संदेह बसूनी गई राशि
8	9	10	11	12

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा—
और अफीम या अफीम पोस्तनृण के उत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति में विनि-
दिष्ट भूमि क्षेत्र और प्लॉट (प्लॉटों) में ही अफीम की खेती करेगा।

2. उस भूमि की बाबत जहाँ बेतिहर अफीम पोस्त की खेती
की जाती है, कोई मुकदमे बाजी नहीं की जा सकेगी।

3. अनुज्ञप्तिधारी फसल से प्राप्त अफीम के संग्रहण लिये लम्बरदार
द्वारा वजन कराएगा और लम्बरदार द्वारा की गई प्रत्येक प्रविष्टि
के सामने लम्बरदार द्वारा की गई ऐसी प्रविष्टि की शुद्धता के सबूत
स्वरूप अपना हस्ताक्षर करेगा, झूठा-निशान लगाएगा तथा स्वापक
औषधि विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम में पूरे किए गए प्रारम्भिक
तोली को मानेगा जिसके दौरान वह उसके द्वारा संग्रहित संपूर्ण
मात्रा प्रस्तुत करेगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी तोस के लिए नियत और अधिसूचित स्थान
पर उसके द्वारा फसल से संग्रहित सभी अफीम
और परिदान करेगा तथा उसके द्वारा इस प्रकार लाई गई अफीम
के लिए वह कीमत स्वीकार करेगा जो उस फसल वर्ष के लिए
केन्द्रिय सरकार द्वारा नियत की जाती है।

5. अनुज्ञप्तिधारी, या तो स्वयं या अपने द्वारा प्राधिकृत किसी
व्यक्ति के माध्यम से, तोस के समय अफीम का परिदान करेगा तथा
उसकी अफीम का वजन, जिला अफीम अधिकारी या स्वापक औषधि
और मनः प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के नियम 15 के अनुसार
स्वापक औषधि प्रायुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य
अधिकारी की देखरेख में किया जाएगा।

6. यदि अनुज्ञप्तिधारी, अफीम का अपना समस्त उत्पादन सरकार
को समर्पित नहीं करता है या उसके किसी भाग को रख देता है,

उसका गबन करना है या अन्यथा अर्ध रीति से व्ययनीत करता है
तो वह स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
के उपबन्धों के अनुसार अभियोजित किए जाने के बाध्यताधीन होगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी जतनी ही अफीम निकासगा जितनी उसके
द्वारा अफीम संग्रहण में उपयोग किए गए उपकरणों, बर्तनों और
कपड़ों से उचित रूप से संभव हो तथा जितना ऐसे उपयोग के परिणाम-
स्वरूप अफीम से अभ्यर्षित हो।

8. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिदत्त की गई अफीम के लिए हमें अंतिम
संवाय ऐसे उचित समय पर किया जाएगा जो जिला अफीम अधिकारी
या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी नियत करे।

9. यदि लेखा का अंतिम समायोजन करने पर कोई एकम
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मोक्ष्य पायी जाए तो वह इसका संवाय जिला
अफीम अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी
को विनिदिष्ट रीति से कर देगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी उसके द्वारा
मोक्ष्य एकम का संवाय करने में असफल रहता है तो इस एकम की
बसूनी स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
की धारा 72 द्वारा विहित रीति से उससे की जाएगी।

10. यदि अनुज्ञप्तिधारी के जिसकी कोई ऐसा तथ्य प्रकट
होता है जो उसे अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने के लिए अपात्र
बनाता है तो अनुज्ञप्ति किसी भी समय अन्त या रद्द कर दी जाएगी।

11. अनुज्ञप्तिधारी स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ
अधिनियम, 1985 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों
और स्वापक औषधि विभाग के सूक्ष्म प्राधिकारियों द्वारा समय
समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन करेगा।

12. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति की शर्तों के किसी उल्लंघन
के लिए स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
के मुसगस-उपबन्धों के अधीन दंड-का-भावी होगा।

प्रश्न सं. 2

अफीम या पोस्त तृण के उत्पादन के लिए अफीम पोस्त की खेती के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु आवेदन

(नियम 8 देखिए)

1. खेतिहर का नाम (फसल वर्ष) (मौसम)
2. पिता का नाम
3. ग्राम/तहसील/जिला
4. उस भूमि के प्लॉट की खमरा यख्या जिसमें पोस्त की खेती होगी
5. क्या राजस्व अंशलेखों के अनुसार प्लॉट अविदक के नाम में है? यदि नहीं तो किसके नाम में है?
6. क्या स्तंभ 4 में विनिश्चित प्लॉट में मिन्चार्ड की सुविधाएँ हैं? (उपलब्ध सिन्चार्ड की सुविधा की किस्म यथा: कुआ, नल कुआ, आदि)
7. अफीम पोस्त खेती के लिए अपेक्षित क्षेत्र
8. क्या आवेदक ने पहले पोस्त की खेती की है, यदि हा तो यह नवीनतम वर्ष जिसमें पोस्त की खेती की।
9. क्या आवेदक को कभी पोस्त की खेती करने में अनिश्चित या अप्रतिष्ठित अफीम निश्चित करने, अधिक खेती करने या विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन करने से उसकी अनुज्ञप्ति समाप्त कर दी गई थी? यदि हाँ तो अनिश्चित करने का वर्ष और कारण

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और उस भूमि पर जिसमें अफीम पोस्त की खेती होगी कोई मूकवमा नहीं बल रहा है।

अनुप्रमाणन
(संबन्धित द्वारा किया जाएगा)

खेतिहर के हस्ताक्षर/
अंगूठे का निशान

(भारसाधक उपनिरीक्षक द्वारा पूरा किया जाएगा)

अ. पूर्ववर्ती फसल वर्ष के दौरान खेतिहर द्वारा पूरा किया जाएगा।

फसलवर्ष अनुज्ञप्त क्षेत्र मापा गया क्षेत्र फसल कटाई किया गया क्षेत्र 70° से. पर औसत उपज

आ. क्या खेतिहर को अधिक खेती और विभागीय अनुदेशों आदि का उल्लंघन करने के लिए अनिश्चित किया गया है? यदि हाँ तो उसकी विशिष्टियाँ।

हस्ताक्षर

(भारसाधक उपनिरीक्षक)

उप-निरीक्षक द्वारा ऊपर अनिश्चित विशिष्टियाँ मेरे द्वारा सत्यापित की गई हैं। खेतिहर, अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए पत्र अपात्र है।

हस्ताक्षर (भारसाधक निरीक्षक)

जिला अफीम अधिकारी द्वारा आवंटित क्षेत्र

डी. ओ. आ. के हस्ताक्षर

प्रश्न सं. 3

(नियम 37 देखिए)

बिनिर्मित औषधि के बिनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं. जारी करने की तारीख को पर अवस्थित परिसर में निम्नलिखित बिनिर्माण औषधियों का बिनिर्माण करने के लिए अनुज्ञप्त किया जाता है:

औषधि का नाम

मात्रा

(1)

(2)

2 अनुज्ञप्ति, तारीख से तारीख तक प्रवृत्त रहेगी।

3 अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगी जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) के अधीन तत्समय प्रवृत्त नियमों में बिनिर्दिष्ट की जाएं।

हस्ताक्षर

पदनाम

तारीख :

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. यह अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं है।
2. प्रवृत्त अनुज्ञप्ति या नवीकरण का कोई प्रमाण-पत्र, अनुमोदित परिसर में रखे जाएंगे और उस अधिकारी के अनुरोध पर प्रस्तुत किए जाएंगे जो उस प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा भेजा गया हो।
3. अनुज्ञप्तिधारी औषधि या औषधि के बिनिर्माण के लिए उपयोग की गई सामग्री को अपने कारखाने के स्थान के सिवाय किसी अन्य स्थान में बिनिर्माण नहीं करेगा या उनको रखेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी, औषधि का बिनिर्माण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) द्वारा या उसके अधीन अधि-कथित मानक और बिनिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करेगा।
5. यदि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहता है तो वह अपनी अनुज्ञप्ति की समाप्ति के कम से कम तीन दिन पूर्व विहित प्ररूप में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी की आवेदन करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के अधीन चल रही फर्म के गठन में हुए किसी परिवर्तन की दशा में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा। जहाँ किसी फर्म के गठन में परिवर्तन होता है वहाँ चालू अनुज्ञप्ति, परिवर्तन होने की तारीख से तीन मास की अधिकतम अवधि तक या अनुज्ञप्ति का प्राथिक समाप्ति तक ही, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, बिभिन्नान्य समझी जाएगी और इस बीच अनुज्ञापन प्राधिकारी सं. परिवर्तित फर्म के नाम में नयी अनुज्ञप्ति ले ली जाएगी।

प्रश्न सं. 4

(नियम 55 देखिए)

जारी करने वाले प्राधिकारी की शासकीय मुद्रा

क्रम सं.

का. सं.

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आयात के अतिरिक्त अनुमोदन का प्रमाणपत्र

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985

. (जारी करने वाला प्राधिकारी) जो स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अधीन आयात प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मनाक्त प्राधिकारी है— मैसर्स द्वारा मैसर्स से नीचे अनुसूची में बिनिर्दिष्ट स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ वाले परेषण का भारत में आयात का अनुमोदन करता है, किन्तु यह इस शर्त के अधीन रहते हुए है कि ऐसी औषधि या ऐसे पदार्थ वाले परेषण से पूर्व द्वारा को (समुद्रपार से) भारत में आयातित कर लिया जाएगा।

बिनिर्दिष्ट औषधि या पदार्थ वाले परेषण के आयात का अनुमोदन करने में (जारी करने वाला प्राधिकारी) का यह समा-धान ही गया है कि ये केवल बिकिस्तीय और वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है।

जारी करने वाले प्राधिकारों का पता

जारी करने वाले प्राधिकारों का पदनाम

अनुसूची जिसमें आयात किए जाने वाले परेषण में अतिरिक्त स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ बिनिर्दिष्ट है।

1. यह दस्तावेज (यह प्राधिकारी जिसको और यह प्रयोजन जिसके लिए यह भेजा जा रहा है उप-दिशित किया जाए) के लिए है।
2. प्रमाण पत्र तब तक बिधिमाम्य नहीं होगा जब तक कि उस पर के द्वारा जारी करने वाले प्राधिकारी की शासकीय मुद्रा नहीं लगी हो।

प्रथम सं. 5 जारी करने वाले प्राधिकारी की शासकीय मुद्रा का. सं.

2. आयातकर्ता: नाम पता:

(टिप्पण: डाकघर बक्से में परेषण का निर्वाह अनुज्ञान नहीं है।)

3. उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध मनःप्रभावी पदार्थ (पदार्थों) और/या ऐसे मनःप्रभावी पदार्थों वाली विनिमित्तियों के निर्यात की दशा में

- (क) अंतर्राष्ट्रीय अन्वयित नाम या यदि ऐसा नाम नहीं हो तो उक्त अनुसूची में ऐसे पदार्थ (पदार्थों) के नाम और अभिनाम;
- (ख) निर्यात किए जाने वाले ऐसे पदार्थ (पदार्थों) की मात्रा।

4. उक्त अनुसूची में सूचीबद्ध पदार्थ (पदार्थों) सभी विनिमित्तियों के निर्यात की दशा में।

- (क) उनमें अंतर्विष्ट ऐसे पदार्थ (पदार्थों) का (के) अंतर्राष्ट्रीय अन्वयित नाम और ऐसा नाम न हो तो उक्त अनुसूची में ऐसे पदार्थ (पदार्थों) का (के) अभिनाम;
- (ख) निर्यात की जानेवाली ऐसी विनिमित्तियों का (के) नाम और अंतर्वस्तु या सक्रिय घटक;
- (ग) निर्यात की जाने वाली ऐसी विनिमित्तियों की मात्रा;
- (घ) निर्यात की जाने वाली ऐसी विनिमित्तियों की कुल मात्रा में अंतर्विष्ट ऐसे प्रत्येक पदार्थ की कुल मात्रा;
- (ङ) भेषजोंय प्रकार जिनमें (जिनमें) ऐसी विनिमित्तियाँ निर्यात की जाएंगी (यथा एस्पूल, गोली, चूर्ण आदि) त्रेषण की तराख अधीहस्तक्षरी यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गई ऊपर की जानकारी उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण और सही है।

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

निर्यात के शासकीय अनुमोदन का प्रमाण-पत्र (स्व-पक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985)

जो स्व-पक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के निर्यात के लिए जारी करने वाला प्राधिकारी

प्रभावी पदार्थ नियम, 1985 के अधीन निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए मशकत प्राधिकारी है, भारत से स्व-पक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थों के निर्यात के लिए आयात का प्राधिकार और अनुज्ञा देता है :-

निर्यातकर्ता
 परेषित
 निर्यात का पत्तन प्रवेश का पत्तन
 निर्यात किए जाने वाले स्व-पक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ

सद सं. वेंकेशों की संख्या	औषधि/पदार्थ विनिमित्त का नाम	आधारी औषधि/पदार्थ अंतर्वस्तु
1		
2		
3		

निर्यात, एक परेषण में, तारीख को या उसके पूर्व अभिहित पत्तन से किया जाएगा।

औषधि के आयात का अभिहित देश में करने के लिए द्वारा (आयात करने वाले देश का प्राधिकारी) जारी किए, आधिकारिक आयात प्रमाणपत्र सं. तारीख द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

जारी करने की तारीख : जारी करने का स्थान जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम

1. यह दस्तावेज (यह प्राधिकार जिनमें और यह प्रयोजन जिसके लिए यह भेजा जा रहा है उपबोधित किया जाए) के लिए है।
2. प्रमाणपत्र लक्ष तत्र: थिखिम न्य नहीं होगा जब तक कि उस पर उसके दांग भाग में ऊपर जारी करने वाले प्राधिकारों की शासकीय मुद्रा नहीं लगी हो।

प्रथम सं. 6 [नियम 58(3) देखिए]

जिसका उद्देश्य प्रतिशतों में बरा बरा स्व-पक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 की अनुसूची III में सूचीबद्ध मनः प्रभावी पदार्थों के निर्यात के लिए

1. निर्यातकर्ता नाम पता:

निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर तारीख :

*जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुपालन के लिए अनुदेश

1. घोषणा की मूल और दूसरी प्रतियाँ निर्यातको द्वारा तुरन्त भारत के स्व-पक आयुक्त, 19 मंन्, मोरर, खलियर-474006 को प्रस्तुत की जाएंगी और तीसरी प्रति उनके द्वारा निर्यातित परेषण के साथ भेजी जाएगी किन्तु इस प्रकार कि यह उन व्यक्तियों का ध्यान लवाई की प्रकृति को और आकृष्ट नहीं करे जो उसे अनुपक प्रयोजनों के लिए अपयोजन कर सकते हैं। चौथी प्रति निर्यातकर्ता द्वारा अपने अभिलेख के लिए रखा जा सकती है।

2. अपेक्षित जानकारी इस प्रकार दी जाएगी जिनमें कि यह पदार्थों और विनिमित्तियों की पहचान का संशयित करने में नियंत्रण अधिकारियों के कार्य को सुकर बना सके। विनिमित्तियों के संबंध में दी जाने वाली जानकारी का बखत करन नम हो देना पर्याप्त होगा यदि यह निरापद रूप से अंशा का जा सकता हो कि यह नाम निरक्षण अधिकारियों को अस्पष्ट रूप में, लवाई में विनिमित्तियों के सक्रिय घटकों का अंतर्वस्तु को जाबशित कर देगा अन्यथा ऐसे सक्रिय घटकों पर पूर्ण जानकारी अपेक्षित है।

परिषद पत्र क्रम सं.
(मन प्रमाणां पदार्थों के परिषद के साथ लगाने के मामले)

प्रथम सं. 7

(नियम 67 दखिए)

परिषद सेजने की तारीख और समय

1. परेषक (विनिर्माता, व्योहार, विनरक) का नाम और पता और उसकी अनुज्ञप्ति सं. आदि (जो औषधि और प्रसाधन मामली नियम, 1945 के अधीन जारी की गई है)
2. परिषदी (विनिर्माता, व्योहार, विनरक) का नाम और पता और उसकी अनुज्ञप्ति सं. (जो औषधि और प्रसाधन मामली नियम, 1945 के अधीन जारी की गई है)
3. परिषद का विवरण और मात्रा

(क)	(ख)	(ग)
1945 के नियम की अनुसूची के प्रति निर्देश के साथ औषधियों की विशिष्टियाँ	पैकेजों की संख्या	मात्रा वृद्ध
व्यापार चिह्न; पेटेंट और एकायन नाम आदि की		

4. परिवहन का साधन (परिषद, की विशिष्टियाँ यात का रजिस्ट्रेशन सं. रेल की रसीद यदि परिवहन रेल द्वारा होना है)
5. परिषदी द्वारा प्राप्त होने की तारीख और समय और उसकी टिप्पणियाँ।
परिषदी के प्रस्तावक और तारीख (नाम बड़े अक्षरों में)

टिप्पण

- (1) इस परिषद पत्र को वार्षिक आधार पर क्रमिकता किया जाना चाहिए।
- (2) परेषक को प्रत्येक बुक के आवरण पृष्ठ पर, ऐसी परिषद पत्र बुक में विद्यमान पृष्ठों का उल्लेख करते हुए, एक प्रमाणपत्र लक्ष्यबद्ध करना चाहिए।
- (3) परेषक को एक रजिस्टर रखना चाहिए, जिसमें किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान उपयोग में आए, गए, परिषद पत्र बुक के व्यौर दर्ज किए जाएँ।
- (4) उपयोग में आए, गए या वर्तमान में उपयोगाधीन परिषदपत्र बुक, और ऊपर सब (3) में निर्दिष्ट रजिस्टर अधिकारों के समक्ष उनके निरीक्षण के दौरान, जब वे मांगे जाएँ, प्रस्तुत किए जाएँ।

[संख्या 10/85/फ. नं. 663/51/85-ओपियम]
बी. आर. देवू, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 14th November, 1985

NOTIFICATION

THE NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC
SUBSTANCES RULES, 1985

G.S.R. 837(E).—In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76, of the Narcotic Drugs and

Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, and commencement (1) These Rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "the Act," means the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985);
- (b) "Appellate Authority" means any authority to whom an appeal may lie under any provision of these rules;
- (c) "Chemical Examiner" means the Chemical Examiner, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or, as the case may be, Ghazipur;
- (d) "Chief Controller of Factories" means the Chief Controller of Government Opium and Alkaloid Factories;
- (e) "crop year" means the period beginning on and from the 1st October of any year to the 30th September of the following year;
- (f) "General Manager" means the General Manager, Government Opium and Alkaloid Works, Neemuch or, as the case may be, Ghazipur;
- (g) "Issuing authority" means the Narcotic Commissioner or any other officer who may be authorised in this behalf by the Central Government for issuing a licence under Chapter V of these rules or issuing an import certificate or export authorisation under Chapter VI of these rules in respect of narcotic drugs or psychotropic substances;
- (h) "licence" means a licence issued under these rules;
- (i) "Proper Officer", in relation to any function to be performed under these rules, means the officer of Narcotics Department who is assigned those functions by the Narcotics Commissioner;
- (j) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules;
- (k) words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

POWERS OF OFFICERS

3. Delegation of powers.—Subject to such directions as may be given by the Central Government, the Narcotics Commissioner appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 5 of the Act, may authorise any officer subordinate to him, to exercise all or any of his powers under these rules.

4. Narcotics Commissioner and other officers to exercise the powers of their subordinates.—The Narcotics Commissioner and such other officer as may be appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 5 of the

Act may perform all or any of the functions, or exercise any of the powers, assigned under these rules to the officers subordinate to them.

CHAPTER III

OPIMUM POPPY CULTIVATION AND PRODUCTION OF OPIMUM AND POPPY STRAW

5. Opium poppy cultivation and production of opium or poppy straw.—The opium poppy for production of opium or poppy straw shall not be cultivated save on account of the Central Government and in the tracts notified by it from time to time and in accordance with the conditions of a licence issued by the District Opium Officer under rule 8.

6. Fee for Grant of Licence.—The licence for cultivation of opium poppy may be granted by the District Opium Officer on payment of a fee of rupees five.

7. Form of Licence for cultivation of the opium poppy.—The licence for cultivation of opium poppy for the production of opium or poppy straw shall be issued in Form No. 1 appended to these rules.

8. Issue of licence.—Subject to the general conditions relating to grant of licences notified by the Central Government, the District Opium officer may issue licence to any person for a crop year for cultivation of the opium poppy for production of opium or poppy straw on receipt of an application made by that person in Form No. 2 appended to these rules.

9. Licence to specify the area, etc.—The licence for cultivation of opium poppy issued under rule 8 shall specify the area and designate the plots to be cultivated with opium poppy.

10. Designating of Lambardar.—The District Opium Officer may designate one of the cultivators of opium poppy as Lambardar in each village where opium poppy cultivation is permitted, who shall perform such functions and on such terms and conditions as may be specified from time to time by the Narcotics Commissioner.

11. Withholding or cancellation of Licence.—(1) An officer higher in rank than the District Opium Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, withhold or cancel a licence already issued.

(2) No order shall be passed under sub-rule (1) unless the cultivator has been given a reasonable opportunity of showing cause against the said order or is heard in person, if he so desires.

(3) Where opium poppy has been cultivated under a licence which is subsequently withheld or cancelled, the standing crop, if any, shall be destroyed under the supervision of the proper officer in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

12. Procedure with regard to measurement of land cultivated with opium poppy.—(1) All plots of land cultivated with opium poppy in accordance with the licence issued under these rules, shall be measured in metres by the proper officer in the presence of the cultivator concerned and the Lambardar of the village and the concerned cultivator and the Lambardar of the village shall attest the entries made in the records to be maintained by the Lambardar, as may be specified by the Narcotics Commissioner in this behalf, under their signature/thumb impression with date, in token of having satisfied themselves regarding the correctness of the measurement.

1060 GI/85—3

(2) The measurement conducted by the proper officer shall be subject to such further checks by such officers as may be specified by the Narcotics Commissioner in this behalf.

13. Procedure with regard to preliminary weighing—(1) The cultivator shall, during the course of harvesting, produce daily before the Lambardar, each day's collection of opium from his crop for weighing.

(2) The Lambardar shall make arrangements to weigh such opium and make necessary entries in the records to be maintained by him as may be specified by the Narcotics Commissioner in this behalf.

(3) The cultivator and the Lambardar shall attest the entries made in such records under their signature/thumb impression with date, showing the quantity of opium weighed on a particular day.

(4) The proper officer shall conduct check weighing of the opium collected by the cultivators with reference to the entries in the Lambardar's record and indicate his finding therein which shall be attested by him and the Lambardar under their signature with date.

(5) The variations between the quantity of opium produced by the cultivator indicated in the Lambardar's record and as found by the proper officer during his check, shall be inquired into by the proper officer in order to ascertain the liability of the cultivator for punishment under section 19 of the Act.

14. Delivery of opium produced.—All opium, the produced of land cultivated with opium poppy, shall be delivered by the cultivators to the District Opium Officer or any other officer duly authorised in this behalf, by the Narcotics Commissioner at a place as may be specified by such officer.

15. Opium to be weighed, examined and classified.—All opium delivered by the cultivators to the District Opium Officer or any other officer authorised as aforesaid, shall, in the presence of the concerned cultivator or any person authorised by him and the Lambardar of the village, be weighed, examined and classified according to its quality and consistency and forwarded by the District Opium Officer to the Government Opium Factory in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

16. Procedure where cultivator is dissatisfied with classification of opium.—Any cultivator who may be dissatisfied with the classification of his opium done by the officer referred to in rule 15 may have it forwarded by such officer to the Government Opium Factory separately, after having it properly sealed in his presence and in the presence of the concerned Lambardar.

17. Procedure for sending opium suspected to be adulterated.—When opium delivered by a cultivator to the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf, is suspected of being adulterated with any foreign substance, it shall be forwarded to the Government Opium Factory separately, after it is properly sealed in the presence of the cultivator and the concerned Lambardar.

18. Drawing of samples from opium sent to Government Opium Factory under rule 16 or rule 17.—The sealed opium received separately in accordance with rule 16 or rule 17, shall be opened and sample drawn thereof in the presence of the cultivator, if he so desires, to whom, a notice intimating the date and time in this behalf, shall be sent well in advance.

19. Fixation of price of opium.—(1) The Central Government shall, from time to time, fix the price of opium, to be paid to the cultivators, in such manner as it may deem fit.

(2) Such price shall be fixed per kilogram of opium of a standard consistence.

20. Provisional payment of price.—(1) The District Opium Officer shall, having regard to the weight and consistence of opium delivered by individual cultivators, work out the weight of such opium at the standard consistence and determine provisionally the total price payable to such cultivators.

(2) The said officer, shall, pay to the cultivators, ninety per cent of the price so determined which shall be subject to adjustment against the final price payable to the cultivators to be determined as provided hereinafter.

21. Weighment and examination of the opium at the Government Opium Factory.—The opium forwarded by the District Opium Officer shall be received, weighed, examined and classified in the Government Opium Factory under the supervision of the General Manager in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

22. Confiscation of adulterated opium.—All such opium received separately under rule 17, if found to be adulterated on examination by the Chemical Examiner in the Government Opium Factory may be liable to confiscation by the General Manager.

23. Adjudication of confiscation of adulterated opium.—No such confiscation shall be ordered by the General Manager unless the concerned cultivator is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order and is heard in person, if he so desires.

24. Determination of final price of opium.—(1) Subject to rule 21, the final price of opium payable to the cultivator shall, having regard to the price fixed by the Central Government under rule 19, be determined by the General Manager on the basis of analysis report of the Chemical Examiner or such other officers as may be authorised in this behalf by the Chief Controller of Factories and communicated to the concerned District Opium Officer.

(2) The price payable in respect of any opium which is delivered to the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf under rule 14 and is not initially suspected to be adulterated but found to be adulterated on examination in the Government Opium Factory, shall be subject to reduction at such rates as may be specified by the Central Government.

25. Adjustment of cultivators' account and recovery of dues from the cultivators.—The accounts of the cultivators for a particular crop year shall be adjusted by the District Opium Officer at the time of issuing of licences for the subsequent crop year and any balance that may remain due from the cultivators shall be recovered and any amount due to them be paid.

26. Weights and scales.—The weights and scales to be used for weighing the opium at the weighment centres and the Government Opium Factory shall be caused to be examined at the appropriate time by the Deputy Narcotics Commissioner or the General Manager, as the case may be.

27. Cultivation of opium poppy for exclusive production of Poppy straw.—The Central Government may, if it considers

it expedient so to do, permit cultivation of the opium poppy for the exclusive production of poppy straw in accordance with a licence issued under rule 8 in such tracts and subject to such conditions as may be specified by it, by notification in the Official Gazette, in this behalf.

Provided that the poppy straw produced by the cultivators as a result of the cultivation of opium poppy for production of opium, shall be deemed to have been produced under a valid licence issued under rule 8.

28. Appeals to the Deputy Narcotics Commissioner and Narcotics Commissioner.—(1)(a) Any person aggrieved by any decision or order made or passed under these rules relating to refusal, withholding or cancellation of a licence for opium poppy cultivation by an officer of the Narcotics Department, lower in rank than the Deputy Narcotics Commissioner, may appeal to the Deputy Narcotics Commissioner within thirty days from the date of the communication to him of such decision or order.

(b) Notwithstanding anything contained in clause (a), if the decision or order regarding withholding or cancellation of licence for opium poppy cultivation is passed by the Deputy Narcotics Commissioner, such appeal shall lie to the Narcotics Commissioner :

Provided that the Deputy Narcotics Commissioner or, as the case may be, the Narcotics Commissioner may, if he is satisfied that the appellant was prevented from submitting his appeal within the time limit specified in clause (a) due to reasons beyond his control, allow such appeal to be presented within a further period of thirty days.

(2) Every appeal under this rule shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against and shall be in such form and in such a manner as may be specified by the Narcotics Commissioner in this behalf.

29. Appeals to the Chief Controller of Factories.—(1) Any person aggrieved by any decision or order made or passed under rule 21 or rule 23 by the General Manager may appeal to the Chief Controller of Factories within thirty days from the date of the communication to him of such decision or order:

Provided that the Chief Controller of Factories may, if he is satisfied that the appellant was prevented from submitting his appeal within the said time limit due to reasons beyond his control, allow such appeal to be presented within a further period of thirty days.

(2) Every appeal under this rule shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against and shall be in such form and in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

30. Procedure for appeal. (1) The Appellate Authority shall give an opportunity to the appellant to be heard, if he so desires.

(2) The Appellate Authority may, at the hearing of an appeal, allow the appellant to go into any ground of appeal not specified in the grounds of appeal, if the Appellate Authority is satisfied that omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or unreasonable.

(3) The Appellate Authority may, after making such further inquiry as may be necessary, pass such orders as he thinks fit confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against:

Provided that any order relating to the quantum of adulterated opium to be confiscated in addition to the opium already confiscated under rule 23 shall not be passed unless the appellant has been given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(4) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal under this rule shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for the decision.

(5) On the disposal of the appeal, the Appellate Authority shall communicate the order passed by him to the appellant and the officer who passed the order or made the decision appealed against.

(6) No further appeal or revision shall lie against the order passed by the Appellate Authority under this rule.

CHAPTER IV

MANUFACTURE, SALE AND EXPORT OF OPIUM

31. Manufacture of opium.—Opium shall not be manufactured save by the Central Government Opium Factories at Ghazipur and Neemuch :

Provided that opium mixtures may be manufactured from opium lawfully possessed by a person authorised under the rules made by the State Governments for the said purpose.

32. Export of opium.—The export of opium is prohibited save when the export is on behalf of the Central Government.

33. Sale to State Governments or manufacturing chemists.—(1) The sale of opium to State Governments or, as the case may be, manufacturing chemists shall be only from the Government Opium Factory, Ghazipur.

(2) The sale of opium from the Government Opium Factory at Ghazipur to manufacturing chemists shall be only under a permit granted by or under the orders of the State Government within whose jurisdiction the chemist resides or has his place of business in the form prescribed by that Government.

(3) The permit referred to in sub-rule (2) shall be issued, in quadruplicate and,—

- (a) the quadruplicate copy shall be retained by the issuing authority and the remaining copies forwarded to the Government Opium Factory, Ghazipur;
- (b) the said Factory shall retain the duplicate copy for record, send the original copy with the consignment of opium and return the triplicate copy to the issuing authority after endorsing thereon the quantity actually supplied and the date of despatch.

34. Fixation of sales price of opium.—The price to be charged for opium sold under this Chapter shall be fixed, from time to time, by the Central Government in such manner as it may deem fit.

CHAPTER V

MANUFACTURED DRUGS

35. General Prohibition.—The manufacture of crude cocaine, ecgonine and its salts and of diacetyl morphine and its salts is prohibited.

36. Manufacture of Natural Manufactured Drugs.—(1) The manufacture of cocaine and its salts is prohibited save the manufacture of cocaine hydrochloride by the chemical staff employed under the Central Board of Excise and Customs from confiscated cocaine.

(2) The manufacture of morphine, codeine, dionine, thebaine, dihydrocodeinone, dihydrocodeine, acetyldihydrocodeine, acetyldihydrocodeinone, dihydromorphine, dihydromorphinone, dihydrohydroxycodeinone, pholcodine and their respective salts is prohibited save by the Government Opium Factory.

(3) The manufacture of medicinal hemp shall be under a licence granted by the State Government on payment of such fees and in accordance with such conditions as may be prescribed by that Government in this behalf.

37. Manufacture of Synthetic Manufactured Drugs.—(1) The manufacture of manufactured drugs notified under sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Act (hereafter referred to as the drug) is prohibited save under and in accordance with the conditions of a licence granted by the Narcotics Commissioner or such other officer as may be authorised by the Central Government in this behalf, in Form No. 3 appended to these rules.

(2) A fee of rupees fifty shall be payable in advance to the Central Government for each licence issued under this rule or for renewal thereof.

38. Application for Licence.—Every application for a licence or for renewal thereof under rule 37 shall be in such form as may be specified by the Narcotics Commissioner.

39. Conditions for Issue of Licences.—No licence shall be issued under rule 37 unless the applicant therefor has—

- (i) produced to the issuing authority licences granted to him under (a) the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) for the manufacture of the drug, and (b) the rules framed under section 10 of the Act by the State Government of the State in which he has his place of business, for the possession, sale and distribution of the drugs; and
- (ii) made a deposit of Rs. 5000/- as security in the manner specified by the issuing authority for the due observance of the conditions of the licence and has furnished proof to the satisfaction of the issuing authority that he is equipped as to the land, building and other paraphernalia to properly carry on the business described in the application and is of good financial standing.

40. Manufacture only from materials lawfully possessed.—The licensee shall not manufacture the drug save from materials which he is lawfully entitled to possess.

41. Limits of manufacture.—The issuing authority, while issuing the licence, shall take into account all relevant factors for permitting the quantity of the drug to be manufactured by a licensee including the following:—

- (a) quantity allotted by the State Government for processing into any preparation in the licensee's own manufactory.
- (b) quantity required for supply to other firms within or outside the country;
- (c) quantity required for reasonable inventory;

Provided that the total quantity of the drug manufactured during any one year does not exceed the estimated

requirements of this country for the relevant year as furnished to the International Narcotics Control Board.

42. Security arrangements.—The licensee shall ensure all necessary security arrangements in the manufacturing premises as may be specified by the issuing authority.

43. Advance notice for commencement and cessation of manufacture.—The licensee shall give at least 15 days notice in writing to the issuing authority of the date on which he proposes to commence manufacture of the drug and at least one month's notice before he ceases to manufacture the same.

44. Cessation of manufacture.—Where the licensee ceases manufacturing operations for any reasons whatsoever, he shall forthwith inform the issuing authority in this behalf indicating the date on which he proposes to recommence manufacture:

Provided that the issuing authority may prohibit all further manufacture in case the period of cessation of manufacture exceeds 30 days.

45. Possession, Sale and Distribution.—The licensee shall not possess or sell or distribute the drug otherwise than in accordance with the rules made by the State Government under the Act.

46. Maintenance of Accounts and Submission of Returns.—The licensee shall maintain true accounts of all transactions including the accounts of materials used for the manufacture of the drug, the quantities manufactured, sold or otherwise disposed of and furnish returns in such forms and in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner.

47. Inspection of Stocks, etc.—(1) The stocks of the drug and the materials used for its manufacture and all accounts and records of transactions relating thereto, shall be open to inspection by any officer authorised by the issuing authority.

(2) A serially numbered Inspection Book shall be maintained by the licensee in good condition for the use of such officer.

48. Suspension and Revocation of Licence.—(1) Without prejudice to any action that may be taken under the provisions of the Act, the issuing authority may suspend or cancel a licence—

- (i) if the licence is transferred or sublet without the prior approval of the issuing authority; or
- (ii) in the event of any breach of any condition of the licence; or
- (iii) if the licensee is convicted for any offence under the Act or under any other law relating to the narcotic drugs for the time being in force in any State.

(2) No order shall be passed under sub-rule (1) unless the licensee has been given a reasonable opportunity of showing cause against the said order or is heard in person, if he so desires.

49. Appeal.—(1) The licensee may file an appeal against the decision or order made or passed under rule 48 to—

- (i) the Narcotics Commissioner where such decision or order was made or passed by any officer subordinate to him; and
- (ii) the Board, in any other case; within 30 days from the date of communication to him of such decision or order.

(2) Every memorandum of appeal shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against.

(3) Every appeal under this rule shall be filed in such form and in such manner as may be specified by the Board.

50. Procedure for Appeal.—(1) The Appellate Authority shall give an opportunity to the appellant to be heard in person, if he so desires.

(2) The Appellate Authority may, at the hearing of an appeal, allow the appellant to go into any ground of appeal not specified in the grounds of appeal, if the Appellate Authority is satisfied that omission of that ground from the grounds of appeal was not wilful or unreasonable.

(3) The Appellate Authority may, after making such further inquiry as may be necessary, pass such orders as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against.

(4) The order of the Appellate Authority disposing of the appeal under this rule shall be in writing and shall state the points for determination, the decision thereon and the reasons for the decision.

51. Surrender of Licence.—A licensee may, if he so desires, surrender his licence, by giving not less than 15 days' notice in writing to the issuing authority.

52. Disposal of Stocks on Drugs on Cancellation of Licence etc.—Such stocks of drugs as may be in the possession of a licensee, on the expiry or cancellation or surrender of his licence, shall be disposed of in such manner as may be specified by the Narcotics Commissioner in this behalf.

CHAPTER VI

IMPORT, EXPORT AND TRANSHIPMENT OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

53. General Prohibition.—Subject to the other provisions of this Chapter, the import into and export out of India of the narcotic drugs and psychotropic substances specified in Schedule I is prohibited.

54. Import of Opium, etc.—The import of—

- (i) opium, concentrate of poppy straw, and
- (ii) morphine, codeine, thebaine, and their salts is prohibited save by the Government Opium Factory.

55. Application for Import Certificate.—(1) No narcotic drug, or psychotropic substance specified in Schedule II, shall be imported into India without an import certificate in respect of the consignment issued by the issuing authority, in Form No. 4 appended to these rules.

(2) The importer applying for an import certificate under sub-rule (1) in relation to narcotic drug shall submit along with his application the original or certified copy of the excise permit issued by the concerned State Government.

(3) The application for the import certificate shall state such details as may be specified by the Narcotics Commissioner.

56. Issue of Import Certificate.—(1) The issuing authority shall prepare seven copies of the import certificate referred to in sub-rule (1) of rule 55 and deal with them in the manner hereunder provided, namely:—

- (a) (i) original and duplicate copies should be supplied to the importer who should transmit the original

copy to the exporting country and shall produce the duplicate copy at the Customs House, Land Customs Station or Airport where the consignment arrives or, in the case of imports by parcel post, at the post office of delivery, in order to obtain delivery of the consignment of narcotic drugs or psychotropic substances.

(ii) The Collector of Customs or Post Master shall state on the copy presented by the importer that the narcotic drugs or the psychotropic substances have actually been imported and return the document to the importer who shall indicate on it that he has received the goods.

(iii) The importer shall return the duplicate copy of the import certificate incorporating the endorsement from the Collector of Customs or Post Master and his own endorsement to the issuing authority—(1) where the import certificate relates to narcotic drug, through the excise authorities of the State from which the excise permit for purposes of sub-rule (2) of rule 55 was produced; (2) where the import certificate relates to psychotropic substance, through the Drugs Controller of the concerned State.

(b) Triplicate copy should be supplied to the Collector of Customs concerned who shall return it to the issuing authority along with the copy of the export authorisation to be received at the time of receipt of the consignment from the Government of the exporting country, with an endorsement as to the actual quantity of narcotic drug or psychotropic substance cleared.

(c) Quadruplicate copy of the import certificate in relation to narcotic drug should be supplied to the excise authorities of the State into which the narcotic drug is to be imported, and the said copy of the certificate in relation to psychotropic substance should be supplied to Drugs Controller of the concerned State for comparison with the copy produced before them, by the importer under sub-clause (a) of this sub-rule.

(d) Quintuplicate copy should be supplied to the Government of the exporting country for comparison with the copy furnished to them by the importer under sub-clause (a) of this sub-rule.

(e) Sextuplicate copy should be supplied to the Drugs Controller, Government of India.

(f) Septuplicate copy should be retained by the issuing authority in his office.

(2) An import certificate issued under sub-rule (1) of rule 55 may allow the importation of the quantity of the concerned drug or the substance in more than one consignment.

57. Transit.—Subject to the provisions of section 79 of the Act and rule 53, no consignment of any narcotic drug, or psychotropic substances specified in Schedule II, shall be allowed to be transited through India unless such consignment is accompanied by a valid export authorisation in this behalf, issued by the Government of the exporting country:

Provided that the provisions of this rule shall not apply to the carriage, by any ship or aircraft, of small quantities of such narcotic drugs and psychotropic substances which

are essential for treatment of, or medical aid to, any person on board the ship or aircraft.

58. Application for Export Authorisation.—(1) No narcotic drug, or psychotropic substances specified in Schedule II, shall be exported out of India without an export authorisation in respect of the consignment issued by the issuing authority in Form No. 5 appended to these rules.

(1) The exporter applying for an export authorisation under sub-rule (1) shall submit,—

(a) where the export authorisation relates to narcotic drug, alongwith his application the original or an authenticated copy of the excise permit issued by the concerned State Government; and

(b) the import certificate in original, issued by the Government of the importing country certifying the official approval of the concerned Government.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2) the psychotropic substances specified in Schedule III may be exported out of India after the exporter files the original and duplicate copies of the declaration in Form No. 6 with the Narcotics Commissioner who shall transmit the duplicate copy of the declaration to the concerned authority of the importing country requesting that authority to certify on the duplicate copy of the declaration that the actual quantity of psychotropic substance has been duly imported and return the said copy; the triplicate copy of the declaration should be sent, alongwith the consignment of said substances by the exporter to the importing country and the quadruplicate copy thereof may be retained by him.

(4) The application for the export authorisation shall state such details as may be specified by the Narcotics Commissioner.

59. Issue of Export Authorisation.—(1) The issuing authority shall prepare five copies of the export authorisation referred to in sub-rule (1) of rule 58 and deal with them in the manner hereunder provided, namely:—

(a) The original should be supplied to the consignor which shall accompany the consignment.

(b) The duplicate copy should be forwarded to the Collector of Customs of the port who will return it to the issuing authority indicating on it the date of export and the quantity exported.

(c) The triplicate copy should be forwarded to the Government of the importing country.

(d) The quadruplicate copy should be forwarded to the excise authority of the State in which the exporter has his place of business.

(e) Quintuplicate copy should be retained by the issuing authority in his office.

(2) Where the consignment of narcotic drug or psychotropic substance is to be transhipped or transited through one or more countries, such additional number of copies of export authorisation as may be required shall be prepared and sent to the concerned country or, as the case may be, countries.

60. Transhipment.—Subject to the provisions of section 79 of the Act and rule 53, no consignment of narcotic drug, or psychotropic substance specified in Schedule II, shall be allowed to be transhipped at any port in India save with the permission of the Collector of Customs.

61. Procedure for Transhipment.—The Collector of Customs while allowing any consignment of narcotic drug, or psychotropic substances, specified in Schedule II, to be transhipped shall, *inter alia*, satisfy himself that the consignment is accompanied by a valid export authorisation issued by the exporting country.

62. Diversion of Consignment.—(1) The Collector of Customs shall take all due measures to prevent the diversion of such consignment to a destination other than that named in the aforesaid export authorisation.

(2) (a) The Collector of Customs may permit diversion of such a consignment to a country other than that named in the accompanying copy of the export authorisation subject to the production of export authorisation issued by the issuing authority as provided under rule 58, as if the diversion were an export from India to the country, or territory of new destination.

(b) The Collector of Customs shall inform the issuing authority regarding the actual quantity of the narcotic drug or psychotropic substance, the diversion of the consignment of which was allowed under clause (a), whereupon the issuing authority shall, inform the country from which the export of the consignment originated.

63. Prohibition of Import and Export of Consignments through a Post Office Box, etc.—The import or export of consignments of any narcotic drug or psychotropic substance through a post office box or through a bank is prohibited.

CHAPTER VII

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

64. General prohibition.—No person shall manufacture, possess, transport, import inter-State, export inter-State, sell, purchase, consume or use any of the psychotropic substances specified in Schedule I.

65. Manufacture of Psychotropic Substances.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the manufacture of any of the psychotropic substances other than those specified in Schedule I shall be in accordance with the conditions of a licence granted under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 (hereinafter referred to as the 1945 Rules) framed under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), by an authority in charge of Drugs Control in a State appointed by the State Government in this behalf.

(2) The authority in charge of Drugs Control in a State (hereinafter referred to as the Licensing Authority) shall consult the Drugs Controller (India) in regard to the assessed annual requirements of each of the psychotropic substances in bulk form referred to in sub-rule (1) in the country and taking into account the requirement of such psychotropic substances in the State, the quantity of such substance required for supply to other manufacturers outside the State and the quantity of such substance required for reasonable inventory to be held by a manufacturer, shall specify, by order, the limit of the quantity of such substance which may be manufactured by the manufacturer in the State.

(3) The quantity of the said psychotropic substance which may be manufactured by a licensee in a year shall be intimated by the Licensing Authority to the licensee at the time of issuing the licence.

66. Possession, etc. of psychotropic substances.—(1) No person shall possess any psychotropic substance for any of the purpose covered by the 1945 Rules, unless he is lawfully authorised to possess such substance for any of the said purposes under these Rules.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any research institution, or a hospital or dispensary maintained or supported by Government or local body or by charity or voluntary subscription, which is not authorised to possess any psychotropic substance under the 1945 Rules, or any person who is not so authorised under the 1945 Rules, may possess a reasonable quantity of such substance as may be necessary for their genuine scientific requirements or genuine medical requirements, or both for such period as is deemed necessary by the said research institution or, as the case may be, the said hospital or dispensary or person :

Provided that where such psychotropic substance is in possession of an individual for his personal medical use the quantity thereof shall not exceed one hundred dosage units at a time.

(3) The research institution, hospital and dispensary referred to in sub-rule (2) shall maintain proper accounts and records in relation to the purchase and consumption of the psychotropic substance in their possession.

67. Transport of psychotropic substances.—(1) Subject to the provisions of rule 64, no consignment of psychotropic substance shall be transported, imported inter-state or exported inter-state unless such consignment is accompanied by a consignment note in Form 7 appended to these Rules and in the manner as provided hereinafter.

(2) The consignment note referred in sub-rule (1) shall be prepared in triplicate, and the original and duplicate copies of the said note shall be sent along with the consignment of psychotropic substances to the consignee who shall return the duplicate copy of the note to the consignor for his use after endorsing on the original and duplicate copies the particulars of the receipt of the quantity consigned.

(3) The Consignor shall make necessary entries on the triplicate copy of the said note with reference to the receipt of quantity of the psychotropic substances indicated on the duplicate copy of that note.

(4) The consignor and consignee shall keep such consignment note for a period of two years and the said note may be inspected at any time by an officer authorised in this behalf by the Central Government.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

68. Repeal and Savings.—(1) The Central Opium Rules, 1934, the Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Rules, 1957, and the Central Manufactured Drugs Rules, 1962 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under any of the rules repealed by sub-rule (1) shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE I

(See Rules 53 and 64)

I. Narcotic Drugs

1. Coca Leaf
2. Cannabis (Hemp)
3. (a) Acetorphine
(b) Diacetylmorphine (Heroin)
(c) Dihydrodesoxymorphine (Desomorphine)
(d) Etorphine
(e) Ketobemidone

and their salts, preparations, admixtures, extracts and other substances containing any of these drugs.

II. PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Sl. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
1.		DET	N, N-Diethyltryptamine
2.		DMHP	3-(1, 2-Dimethylheptyl)-1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 6, trimethyl-6H-dibenzo [b, d] pyran
3.		DMT	N, N-Dimethyltryptamine
4.	(+) LYSERGIDE	LSD LSD-25	(+)-N, N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)
5.		mescaline	3, 4, 5-Trimethoxy-phenethylamine
6.		parahexyl	3-Hexyl-1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 6, 9-trimethyl-6H-dibenzo [b, d] pyran.
7.	ETICYCLIDINE	PCE	N-Ethyl-1-phenyl-cyclohexylamine
8.	ROLICYCLIDINE	PHP PCPY	1-(1-Phenylcyclohexyl) pyrrolidine
9.		psilocine, psilotsin	3-(2-Dimethylamino-ethyl)4-hydroxyindole
10.	PSILOCYBINE		3-(2-Dimethylamino-ethyl-indol)4-yl dihydrogen phosphate
11.		STP DOM	2-Amino-1-(2, 5-dimethoxy-4-methyl) phenylpropane
12.	TENOCYCLIDINE	TCP	1-[1-(2-Thienyl) cyclohexyl] piperidine
13.		THC	Tetrahydrocannabinols, the following isomers: Δ^6a (10a), Δ^6a (7), Δ^7 , Δ^8 , Δ^9 , Δ^{10} , $\Delta^9(11)$ and their stereochemical variants
14.		DOB	2, 5-dimethoxy-4-bromoamphetamine
15.		MDA	3, 4-methylenedioxy-amphetamine
16.	MECLOQUALONE		3-(o-Chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H) quinazolinone
17.	METHAQUALONE		2-Methyl-3-o-tolyl-4 (3H)-quinazolinone
18.	ALPRAZOLAM		8-Chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo [4, 3-a] [1, 4] benzo-diazepine
19.	AMFEPRAMONE		2-(Diethylamino) propiophenone
20.	BENZPHETAMINE		N-Benzyl-N α α -dimethyl-phenethylamine
21.	BROMAZEPAM		7-Bromo-1, 3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one
22.	CAMAZEPAM		7-Chloro-1, 3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)
23.	CLOBAZAM		7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1, 5-benzodiazepine-2, 4(3H, 5H) dione.
24.	CLONAZEPAM		5-(o-Chlorophenyl)-1, 3-dihydro-7-nitro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
25.	CLORAZEPATE		7-Chloro-2, 3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H, 4-benzodiazepine-3-carboxylic acid.
26.	CLOTIAZEPAM		5-(O-Chlorophenyl)-7-ethyl-1, 3-dihydro-1-methyl-2H-theno [2,3-e] 1, 4-diazepin-2-one.
27.	CLOXAZOLAM		10-Chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2, 3, 7, 11b-tetrahydrooxazolozolo [3,2-d] [1, 4] benzo-diazepin-6 (5H)-one.
28.	DELORAZEPAM		7-Chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1, 3-dihydro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.

Sl. No.	International non-proprietary names	Other non proprietary names	Chemical name
29.	ESTAZOLAM		8-Chloro-6-phenyl-4-H-s-triazolo [4, 3-a] [1, 4] benzodiazepine
30.	ETHINAMATE		1-Ethynylcyclo-hexanol carbamate
31.	ETHYLLOFLAZEPATE		Ethy 7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-2, 3-dihydro-2-oxo-1H-1, 4 benzodiazepine-3-carboxylate.
32.	FLUDIAZEPAM		7-Chloro-5-(o-fluorophenyl)-1, 3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one.
33.	FLUNITRAZEPAM		5-(o-fluorophenyl)-1, 3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
34.	HALAZEPAM		7-Chloro-1, 3-dihydro-5-phenyl-1-(2, 2, 2-trifluoroethyl) 2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
35.	HALOXAZOLAM		10-Bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2, 3, 7, 11b-tetrahydrooxazolo [3, 2-d] [1, 4] benzodiazepin-6 (5H)-one.
36.	KETAZOLAM		11-Chloro-8, 12b-dihydro-2, 8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1, 3]-oxazino-[3, 2-d] [1, 4] benzodiazepine-4, 7(6H)-dione.
37.	LEFETAMINE	SPA	(-)-1-Dimethylamino-1, 2-diphenylethane.
38.	LOPRAZOLAM		6-(o-Chlorophenyl)-2, 4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazynyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazo [1, 2-a] [1, 4] benzodiazepin-1-one.
39.	LORMETAZEPAM		7-Chloro-5-(o-Chloro-phenyl)-1, 3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
40.	MAZINDOL		5-(p-Chlorophenyl)-2, 5-dihydro-3H-imidazo [2, 1-o] isoindol-5-ol
41.	MEDAZEPAM		7-Chloro-2, 3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1, 4-benzodiazepine
42.	METHYPRYLON		3, 3-Diethyl-5-methyl-2, 4-piperidine-dione
43.	NIMETAZEPAM		1, 3-Dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
44.	OXAZOLAM		10-Chloro-2, 3, 7, 7, 11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo [3, 2-d] [14] benzodiazepin-6 (5H)-one.
45.	PHENDIMETRAZINE		(+) 3, 4-Dimethyl-2 phenylmorpholine
46.	PHENTERMINE		±±-Dimethylphen-ethylamine
47.	PINAZEPAM		7-Chloro-1, 3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
48.	PIPRADROL		1, 1-Diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol
49.	PRAZEPAM		7-Chloro-1 (cyclo propylmethyl-1-)-1, 3-dihydro-5-phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
50.	TEMAZEPAM		7-Chloro-1, 3-dihydro-3 hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1, 4-benzodiazepin-2-one.
51.	TETRAZEPAM		7-Chloro-5 (cyclohexen-1-yl) 1, 3-dihydro-1-methyl-2H-1, 4 benzodiazepin-2-one.
52.	TRIAZOLAM		8-Chloro-6-(o-chlorophenyl)-methyl-4H-s-triazolo (4, 3-a) (1, 4) benzodiazepine.
53.	Salts and Preparations of above.		

SCHEDULE II

[See Rule 55(1)/57 and 58(1)]

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES :

1.	DET	N, N-Diethyltryptamine
2.	DMHP	3-(1, 2-Diemethylheptyl)-1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 6, 9-trimethyl-6H-dibenzo 6, d/ pyran.
3.	DMT	N, N-Dimethyltryptamine
4.	(+)-LYSERGIDE	(+)-N, N-Diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)
5.	mescaline	3, 4, 5-Trimethoxyphenethylamine
6.	parahexyl	3-Hexyl-1-hydroxy-7, 8, 9, 10-tetrahydro-6, 6, 9-trimethyl-6H-dibenzo [b, d] pyran.
7.	ETICYCLIDINE	N-Ethyl-1-phenylcyclohexylamine

Sl. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
8.	ROLICYCLIDINE	PHP, PCPY	1-(1-Phenylcyclohexyl)-pyrrolidine
9.	PSILOCINE	psilocine, psilocin	3-(2-Dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole
10.	PSILOCYBINE		(3-(2-Dimethylaminoethyl)-indol-4-yl dihydrogen Phosphate
11.		STP, DOM	2-Amino-1-(2, 5-dimethoxy-4-methyl) phenyl-propane.
12.	TENOCYCLIDINE	TCP	1-[1-(2-Thienyl) cyclohexyl] piperidine
13.		THC	Tetrahydrocannabinols, the following isomers : Δ 6a (10a), Δ 6a (7), Δ 7, Δ 8, Δ 9, Δ 10, Δ 9(11) and their stereochemical variants
14.		DOB	2,5-Dimethoxy- 4-bromoamphetamine
15.		MDA	3,4-Methylenedioxyamphetamine
16.	AMPHETAMINE		(±)-2-Amino-1-phenyl propane
17.	DEXAMPHETAMINE		(-)-Amino- 1 phenyl-propane
18.	MECLOQUALONE		3-(o-Chlorophenyl)2-methyl-4-(3H)-quinazolinone
19.	METHAMPHETAMINE		(+)-2-Methylamino-1-phenylpropane
20.	METHAQUALONE		2-Methyl-3-o-telyl-4-(3H)-quinazolinone
21.	METHYLPHENIDATE		2-Phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid, methyl ester
22.	PHENCYCLIDINE	PCP	1-(1-Phenylcyclohexyl) piperidine
23.	PHENMETRAZINE		3-Methyl-2-Phenylmorpholine
24.	Salts and preparations of above.		

SCHEDULE III

[See Rule 58(3)]

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

1.	AMOBARBITAL	5-Ethyl-5-(3-methylbutyl) barbituric acid
2.	CYCLOBARBITAL	5-(1-Cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
3.	GLUTETHIMIDE	2-Ethyl-2-phenylglutarimide
4.	PENTAZOCINE	1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexahydro-6, 11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2-, 6-methano-3-benzazocin-8-ol.
5.	PENTOBARBITAL	5-Ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid.
6.	SECOBARBITAL	5-Allyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid
7.	Salts and preparations of above.	

Division,

FORM NO. 1

Crop season for which valid

(See Rule 7)

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS

LICENCE TO GROW OPIUM POPPY FOR PRODUCTION OF OPIUM OR POPPY STRAW

Name and Percentage of the Licensee	Village	Pargana/District Tehsil		Licence Number	Area licensed	Plot No. (s) as per revenue records
		Hectares	Areas			
	Area measured
	Area test-measured
	Area harvested

Signature & Seal
District Opium Officer.

(Entries to be made at the time of weighments)						Entries to be made at the time of final payment.					
Plate No.	Class of opium as assigned by D.O.O.	Weight of opium (Kg.)	Assumed weight at 70°C (Kg)	Price payable on the basis of assumed weight 70°C	Amount withheld pending final examination of opium at factory	Amount paid at weighments	Total weight of opium at 70°C on the basis of factory's report	Average yield of the cultivator	Total amount payable on the basis of factory report.	Amount already paid at the time of weighments	Amount paid/received at the time of final payments
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Signature & Seal (D.O.O.)						Signature & Seal (D.O.O.)					

FORM No. 2

(See Rule 8)

APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE FOR OPIUM POPPY CULTIVATION FOR PRODUCTION OF OPIUM OR POPPY STRAW

Crop Year.....

- Name of the Cultivator :
- Father's name :
- Village..... Tehsil..... District
- Khasra No. of the plot of land in which poppy is to be cultivated.
- Whether the plot is in the name of the applicant as per revenue records.
If not, in whose name?
- Whether the plot specified in column 4 has irrigation facilities (Kind of irrigation facilities available i.e. well, tube well, etc.).
- Area required for opium poppy cultivation.
- Whether the applicant cultivated the poppy in the past, if so, the latest year in which he cultivated poppy.
- Whether the applicant was ever proscribed from poppy cultivation or was delicensed for tendering a luterated opium, excess cultivation, violations of Departmental instructions. If so, the year and the reasons for proscription.

I hereby certify that the particulars shown above are correct and the land in which opium poppy is to be cultivated is free from litigation.

Attestation
(to be made by Lambardar)

Signature/Thumb impression
of cultivator.

(TO BE COMPLETED BY THE SUB-INSPECTOR INCHARGE)

- Performance of the cultivator during the preceding crop year.
Crop year. Area licensed. Area measured.
Area harvested. Average yield at 70°C.
- Whether the cultivator has ever been proscribed on account of excess cultivation and violation of Departmental instructions etc., if so the particulars thereof.

Signature.....
(Sub-Inspector Incharge)

The particulars above recorded by the Sub-Inspector have been verified by me. The cultivator is eligible/ineligible for grant of licence.

Signature (Inspector Incharge)

Area allotted by the District Opium Officer.

Signature of
District Opium Officere

CONDITIONS OF THE LICENCE

1. The licensee shall not transfer this licence and cultivate poppy only for production of opium or poppy straw over the area of land and the plot(s) specified in the licence.
2. The land in which poppy will be cultivated by the cultivator shall be free from litigation.
3. The licensee shall get his daily collections of opium obtained from the crop weighed by the Lambardar and affix his signature/thumb impression against each entry made by the Lambardar in token of correctness of such entry made by the Lambardar and shall submit to preliminary weighments carried out by the staff of the Narcotics Department in the village during which he shall produce the entire quantity collected by him.
4. The licensee shall bring to, and deliver at, the place fixed and notified for weighments all opium collected by him from the crop and shall accept for opium so brought by him the price fixed by the Central Government for that crop year.
5. The licensee shall deliver the opium either himself or through any person authorised by him at the time of its weighment and his opium shall be weighed under the supervision of the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf by the Narcotics Commissioner in accordance with Rule 14 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.
6. If the licensee does not surrender his entire produce of opium to Government or retains, embezzles or otherwise illegally disposes of any part of the same, he shall be liable to be prosecuted as per the provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
7. The licensee shall extract as much opium as is reasonably possible from all implements, pots and cloth used by him in collecting opium and impregnated with opium in consequence of such use.
8. The final payment for opium delivered by the licensee shall be made to him at appropriate time fixed by the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf.
9. If on the final adjustment of accounts any sum is found due from the licensee, he shall pay it to the District Opium Officer or any other officer authorised in this behalf in the manner specified. If the licensee fails to pay the sum due from him, it may be recovered from him in the manner prescribed by section 72 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.
10. The licence may be withheld or cancelled at any time if any fact is revealed against the licensee which makes him ineligible for grant of the licence.
11. The licensee shall comply with the provision of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, the Rules framed thereunder and any order issued by the competent authorities of the Narcotics Department from time to time.
12. The licensee shall be punishable under the relevant provisions of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 for any breach of the conditions of this licence.

FORM NO. 3

(See Rule 37)

LICENCE FOR MANUFACTURE OF MANUFACTURED DRUGS

Licence No. Date of issue.....
 is hereby licensed to manufacture the following
 manufactured drugs on the premises situated at..... :

	Name of drug	Quantity.
(1)		
(2)		

2. The licence shall be in force from.....to.....

3. The licence is subject to the conditions stated below and to such other conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985).

Date.....

Signature

Designation

CONDITIONS OF LICENCE

1. This licence is not transferable.
2. This licence and any certificate of renewal in force shall be kept on the approved premises and shall be produced at the request of an officer detailed for the purpose by the Licensing Authority.
3. The licensee shall not manufacture or keep the drug or the materials used for the manufacture of the drug at any other place except his place of business.

4. The licensee shall ensure manufacture of the drug to the standard and specifications laid down by or under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940).
5. The licensee, if he desires the renewal of his licence, shall apply to the Licensing Authority in the form specified for such renewal, atleast 30 days before the expiry of his licence.
6. The licensee shall inform the Licensing Authority in writing in the event of any change in the constitution of the firm operating under the licence. Where any change in the constitution of the firm takes place, the current licence shall be deemed to be valid for a maximum period of three months from the date on which the change takes place or the normal expiry of the licence whichever is earlier unless in the meantime, a fresh licence has been taken from the Licensing Authority in the name of the firm with the changed constitution.

FORM NO. 4

(See Rule 55)

Official Seal of the Issuing
Authority

S. No. _____

F. No. _____

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CERTIFICATE OF OFFICIAL APPROVAL OF IMPORT

(The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985)

_____ being the authority empowered to issue Import Certificate under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 hereby approves the importation into India of the consignments containing narcotic drugs or psychotropic substances as specified in the Schedule below by:—

M/S _____

From M/S _____
subject to the condition that the consignment containing such drugs or substances shall be imported before _____ by _____ to (airport/s a-port) in India.

In approving the importation of the consignment containing the said drugs or substances specified _____ (Issuing Authority) is satisfied that it is required solely for medical and scientific purposes.
Address of the Issuing Authority _____ Designation of the Issuing Authority _____

Schedule specifying the narcotic drugs or psychotropic substance contained in the consignment to be imported.

1. This document is for _____ (The authority to whom and the purpose for which it is being sent to be indicated).
2. The Certificate is not valid unless it bears the Official Seal of the Issuing Authority on the top right hand corner.

FORM NO. 5

(See Rule 58)

Official Seal of Issuing Authority

S.No. _____

F. No. _____

GOVERNMENT OF INDIA

Ministry of Finance

(Department of Revenue)

Authorisation for Official Approval of Export

(The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985)

_____ being the authority empowered to issue export authorisation under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, hereby authorises and permits the following exportation of Narcotic Drugs or Psychotropic Substances from India:—

Exporter: _____

Consigned: _____

Port of export _____ Port of entry _____

Narcotic Drugs or Psychotropic Substances to be exported:

Item No.	Number of packages	Name of the drug/substances/preparation	Basic drug/substance/content.
----------	--------------------	---	-------------------------------

The exportation to be made in one consignment from the designated port of export on or before the _____ day of _____ (Month), 19 _____.

The importation of these drugs into the country of destination has been authorised by official import certificate No. _____ dated _____ issued by _____ (Authority of the importing country).

Date of issue:

Place of issue:

Designation of the Issuing Authority.

1. This document is for _____ (the authority to whom and the purpose for which it is being sent is to be indicated).
2. This authorisation is not valid unless it bears the official seal of the Issuing Authority on the top right hand corner.

FORM NO. 6

[See Rule 58(3)]

Form to be complete in quadruplicate

For the *export of psychotropic substances listed in Schedule III to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985.

1. Exporter: Name _____
Address: _____
2. Importer: Name _____
Address: _____

(Note : export of consignments to a post office box is not allowed).

- *3. In the case of an export of psychotropic substance(s) listed in the said schedule and/or preparations containing such psychotropic substances.
 - (a) The international non-proprietary name, or, lacking such a name, the designation of such substance(s) in that Schedule;
 - (b) The quantity of such substance(s) to be exported;
- *4. In the case of an export of preparation(s) containing substance(s) listed in the said Schedule.
 - (a) The International non-proprietary name(s) of such substance(s) contained therein, or lacking such name, the designation of such substance(s) in that Schedule;
 - (b) The name(s) and contents of active ingredients of such preparation(s) to be exported;
 - (c) The quantity of such preparation(s) to be exported;
 - (d) The total quantity of each such substance contained in the total amount of such preparation(s) to be exported;
 - (e) The pharmaceutical form(s) in which such preparation(s) is (are) to be exported (e.g. ampoule, pill, powder, etc.)

Date of despatch: _____

The undersigned hereby declares that the above information, submitted by him is, to the best of his knowledge, complete and correct.

Date: _____

(Signature of exporter)

*Delete whichever is not applicable:

Instructions for compliance

1. The original and duplicate copies of the declaration shall be submitted immediately by the exporters to the Narcotics Commissioner of India, 19, The Mall, Morar, Gwalior-474006; and a third copy shall be sent along with the consignment exported by them, but in a manner which does not attract to the nature of the shipment the attention of persons who might divert it for illicit purposes; the fourth copy may be retained by the exporter for own records.

2. The information required shall be given in such a way as to facilitate the task of the controlling officers to verify the identity of the substances and preparations in the shipment. With regard to the information to be given concerning preparations, the name alone is sufficient only if it can safely be expected that this name will unequivocally indicate to controlling officers the contents of active ingredients of the preparations in the shipment; otherwise full information on such active ingredients is required.

SERIAL NO.

CONSIGNMENT NOTE

(To accompany the consignment of Psychotropic Substances)

FORM NO. 7

(See Rule 67)

Date and time of despatch of
the consignment.

1. Name and address of consignor (manufacturer/dealer/distributor) and his Licence No. etc. (issued under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945).
2. Name and address of the consignee (manufacturer/dealer/distributor) and his Licence No. (issued under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945).
3. Description and Quantity of the consignment.

(a)	(b)	(c)	
		Gross	Net
Particulars of the drugs with reference to the Schedule(s) to the 1945 Rules, Trade Marks; Patent and Proprietary Names, etc.	No. of packages.		
4. Mode of Transport	(Particulars of the transporter, Registration Number of the Vehicle, R.R. if the Transport is by Railway etc.)		
5. Date and Time of receipt by the Consignee and his remarks.			
Signature of the Consignee with date (Name in capital letters)		Signature of the Consignor with date (Name in capital letters)	

NOTE

- (1) This Consignment Note should be serially numbered on annual basis.
- (2) The Consignor should record a Certificate on the cover page of each book containing consignment notes indicating the number of pages contained in such consignment note-book.
- (3) The Consignor should maintain a Register showing the details of the books of consignment notes brought in use during a particular year.
- (4) The books containing consignment notes used or currently under use and the Register as referred to at item (3) above shall be produced to the officers whenever called upon during the course of their inspections.

[No. 10/85/F.No. 664/51/85-OPIMUM]

B. R. REDDY, Addl. Secy.